[2020] 11 एस. सी. आर. 345

जाँचकर्ता सामान्य पंजीकरण,

तमिल नाडु और ओआरएस।

वी.

के. बास्करन

(2020 की सिविल अपील संख्या 2586)

15 जून, 2020

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा, जे. जे.]

तमिलनाडु डाक टिकट (अवमूल्यन की रोकथाम)

लिखत) नियम, 1968: आर. 11-ए-क्या अपीलीय प्राधिकरण अर्थात् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण (पंजीकरण महानिरीक्षक) द्वारा पंजीकरण के उप महानिरीक्षक, या किसी अन्य अधिकारी को स्थल निरीक्षण करने के लिए कहने के लिए जारी किए गए निर्देश, उनके कार्यों के प्रत्यायोजन के बराबर हैं और आर का उल्लंघन करते हैं। 11 - नियमों में से ए और इस प्रकार आयोजित पूरी कार्यवाही को दूषित कर दिया: r.11A अपीलीय प्राधिकरण को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय, अधिकारी या प्राधिकरण से किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल करने का अधिकार देता है।

या सार्वजनिक कार्यालय या प्राधिकरण के किसी भी सदस्य से बयानों की जांच और रिकॉर्ड करना-ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, यदि अपीलीय प्राधिकरण कोई जानकारी मांगता है या किसी रिकॉर्ड या किसी भी इनपुट के लिए कॉल करता है, तो यह अपने आप में आवश्यक कार्यों के प्रत्यायोजन के बराबर नहीं होगा-यदि ऐसी शक्ति के संदर्भ में, अपीलीय प्राधिकरण किसी जिम्मेदार अधिकारी को कुछ पहलुओं की जांच करने और रिपोर्ट के लिए बुलाने के लिए प्रतिनियुक्त करता है, तो यह अपीलीय प्राधिकरण में निहित शक्ति के प्रयोग का एक सामान्य तरीका होगा-जब तक कि आवश्यक कार्य है, अर्थात सभी आवश्यक कारकों और इनपुट पर विचार करना और

डाक टिकट अधिनियम, 1899: एस. 76-ए-प्रस्तुत करना कि जिन शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, वे विशेष रूप से एस के तहत प्रदान की जाती हैं। 76 - अधिनियम का ए, और एस के तहत शक्ति। 47 - क एक ऐसी शक्ति नहीं है और जब तक उप-प्रत्यायोजन की शक्ति किसी कानून के तहत स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रदान नहीं की जाती है, तब तक शक्ति को उप-प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है: प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से गलत है - धारा 76-प्रधान अधिनियम का ए राज्य सरकार को प्रधान अधिनियम द्वारा उसे प्रदान की गई कुछ वैधानिक शक्तियों को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को सौंपने में सक्षम बनाता है-जैसे

सशक्तिकरण का प्रयोग की गई विधायी शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है।

राज्य द्वारा जिसके संदर्भ में एस। 47 - ए को जोड़ा गया था, या एस को प्रभावी बनाने के लिए घोषित नियमों के साथ। 47 - ए-एस के संदर्भ की व्याख्या और विचार करने के लिए। 47 - ए या नियम, यह तथ्य कि राज्य सरकार के पक्ष में कुछ अन्य वैधानिक शक्तियां प्रत्यायोजित हैं,

बिल्कुल कोई संबंध नहीं - धारा 47-ए को राज्य द्वारा अपनी विधायी शक्ति में शामिल किया गया था और इसके तहत बनाए गए नियमों को होना चाहिए स्वयं पर और एस से प्रभावित हुए बिना माना जाता है। 76 - अधिनियम का ए-तमिलनाडु स्टाम्प (उपकरणों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियम, 1968।

तमिलनाडु डाक टिकट (अवमूल्यन की रोकथाम)

लिखत) नियम, 1968: r. 7-चाहे r. 7 कलेक्टर के लिए एक आदेश पारित करने के लिए 3 महीने का समय निर्धारित करने वाले नियमों में से

संपत्तियों का बाजार मूल्य और पहली सूचना से साधन पर देय शुल्क, निर्देशिका या अनिवार्य है-आयोजितः एस की उप-धारा (1) के तहत। 47 - डाक टिकट अधिनियम का ए, यदि यह मानने का कारण है कि पंजीकरण के लिए निविदा पत्र में बाजार मूल्य वास्तव में निर्धारित नहीं किया गया है, तो कलेक्टर को एक संदर्भ दिया जा सकता है, जो (i) पक्षों को होने का उचित अवसर देने के बाद

सुनवाई; और (ii) इस तरह से जांच करने के बाद जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, का सही मूल्य निर्धारित करना होगा

संबंधित संपत्ति धारा अपने आप में कोई प्रावधान नहीं करती है।

आर के संदर्भ में पहली सूचना से तीन महीने की अवधि। 6 या फॉर्म II में दिए गए नोटिस को अनिवार्य माना जाता है, इससे विसंगति की स्थिति पैदा होगी-तथ्य यह है कि फॉर्म II नोटिस जारी किया गया था, इसका मतलब होगा कि रिकॉर्ड के प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण से और यदि किसी कारण से तीन महीने के भीतर कार्यवाही पूरी नहीं की जाती है और इसलिए इसे दूषित माना जाना चाहिए, तो जनहित को नुकसान होगा और जो व्यक्ति वास्तविक मूल्य को दबाने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार थे, उन्हें लाभ होगा-आर का संशोधन-लिखत में बताया गया मूल्य सही मूल्य नहीं था; जिसका अर्थ यह होगा कि प्रथम दृष्टया सरकारी खजाने को सही बकाया से वंचित किया जा रहा था-यदि किसी भी कारण से, कार्यवाही तीन महीने के भीतर पूरी नहीं की जाती है और इसलिए, इसे दूषित माना जाना चाहिए, तो सार्वजनिक हित को नुकसान होगा और जो व्यक्ति वास्तविक मूल्य को दबाने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार थे, उन्हें लाभ होगा। 7 तीन महीने की अवधि को शामिल करना अनिवार्य रूप से सार्वजनिक अधिकारियों को प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए था, लेकिन इसका उद्देश्य उन लोगों के पक्ष में अधिकार पैदा करना नहीं था जिन्होंने प्रथम दृष्टया महानिरीक्षक पंजीकरण, तमिल नाडु और ओआरएस का संचालन किया था।

वी. के. बास्करन

पंजीकृतों द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते समय संपत्ति-आयोजितः एस की उप-धारा (6)। 47 - अधिनियम का ए मुख्य नियंत्रक को अधिकार देता है राजस्व प्राधिकरण, स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए, धाराओं की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत पारित आदेश की शुद्धता की मांग और जांच करने के लिए। 47 - ए; और यदि आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, तो मुख्य नियंत्रक प्राधिकरण ऐसी जांच कर सकता है या ऐसी जांच करा सकता है और या तो ऐसे आदेश को संशोधित कर सकता है, संशोधित कर सकता है या अलग कर सकता है और कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित लगे-उक्त शक्ति के प्रयोग पर कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि उप के तहत पारित आदेश के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

धारा (2) या उप-धारा (3), यदि उस आदेश के खिलाफ अपील करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, या यदि आदेश पारित होने के बाद पांच साल से अधिक समय समाप्त हो गया है-इरादा स्पष्ट है कि यदि

उस आदेश को चुनौती देने वाली नियमित अपील को प्राथमिकता देने के लिए पर्याप्त समय होने पर, अपील दायर करने के उपाय का सहारा लिया जाना चाहिए-इसके अलावा, यदि पांच साल की अवधि समाप्त हो गई है, तो कोई स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है-एक और सीमा उप-धारा (8) द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके संदर्भ में किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न मिले-इन सीमाओं के अलावा, वैधानिक प्रावधान कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, और मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए शक्ति प्रदान की जाती है कि धाराओं की उप-धारा (2) या (3) के तहत कोई आदेश पारित न हो। 47 - क राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है-वर्तमान मामले में, कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने अपीलकर्ता-पंजीकरणकर्ता को पर्याप्त नोटिस दिया था और प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में प्रतिक्रिया के लिए कहा था-यह किसी का मामला नहीं था कि उस तारीख तक जब निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यवाही शुरू की गई थी।

एस की उप-धारा (6)। 47 - ए, अपील को प्राथमिकता देने की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, या यह कि उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत आदेश पारित होने के बाद पांच साल से अधिक समय समाप्त हो गया था, इन परिस्थितियों में, उन सीमाओं में से कोई भी नहीं जो क़ानून ने [2020] 11 एस. सी. आर.

शक्ति के प्रयोग पर मौजूद थे-ऐसा नहीं है कि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया गया मूल्यांकन या तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था, या इतना स्पष्ट रूप से गलत था कि इसे कभी भी बनाए नहीं रखा जा सकता था-शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से था

राजस्व के हित के प्रति एक स्पष्ट अवैधता और पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया-इस प्रकार, अभ्यास बिल्कुल सही था, और अनुसरण में पारित आदेशों को दरकिनार करने का कोई अवसर नहीं था।

वहाँ से।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 तमिलनाडु डाक टिकट (उपकरणों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियम, 1968 का नियम 11 ए

कि अपीलीय प्राधिकारी को निरीक्षण करने के बाद जानकारी एकत्र करने जैसे कुछ कार्यों को सौंपने में सक्षम होना चाहिए। जब तक आवश्यक कार्य है, अर्थात सभी आवश्यक कारकों और निवेशों पर विचार करना और उसके बाद एक सूचित लक्ष्य तक पहुंचना। निर्णय अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, सहायक कार्यों को करने का बोझ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 15] [375-एफ-एच; 376-ए]

1.2 प्रस्तुतिकरण कि शक्तियाँ जिन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है वे हैं

अधिनियम की धारा 76-ए के तहत विशेष रूप से प्रदान की गई, और धारा 47-ए के तहत शक्ति ऐसी एक शक्ति नहीं है; और जब तक कि शक्ति

उप-प्रतिनिधि को एक कानून के तहत स्पष्ट रूप से या निहित रूप से प्रदान किया जाता है, शक्ति को उप-प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है जो पूरी तरह से गलत है और स्वीकृति के योग्य नहीं है। धारा 76-ए को विकेंद्रीकरण अधिनियम, 1914 (अधिनियम सं. 1914 का चौथा)। प्रविष्टि 44 में विधायी प्रमुख, अर्थात् "न्यायिक डाक टिकटों के माध्यम से एकत्र शुल्क या शुल्क के अलावा अन्य डाक टिकट शुल्क, लेकिन डाक टिकटों की दरों को शामिल नहीं करते हुए" संविधान की अनुसूची VII की समवर्ती सूची में है। धारा 47 ए को राज्य विधानमंडल द्वारा महानिरीक्षक पंजीकरण, तमिल नाडु और ओ. आर. एस. द्वारा प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया था।

वी. के. बास्करन

1967 के तमिलनाडु अधिनियम को अधिनियमित करना जिसे 29 मार्च, 1968 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। नियम 11-ए सहित नियम धारा 47-ए के अक्षर और भाव को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए थे। प्रधान अधिनियम की धारा 76-ए राज्य को सक्षम बनाती है।

सरकार प्रधान अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कुछ वैधानिक शक्तियों को मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण को सौंपेगी। इस तरह के सशक्तिकरण का इससे कोई लेना-देना नहीं है किस धारा के संदर्भ में राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली विधायी शक्ति

47 - ए को धारा 47-ए को प्रभावी बनाने के लिए घोषित नियमों के साथ जोड़ा गया था। उक्त धारा 47-ए या नियमों के संदर्भ की व्याख्या और विचार करने के लिए, यह तथ्य कि राज्य सरकार के पक्ष में कुछ अन्य वैधानिक शक्तियां प्रत्यायोजित हैं,

धारा 76-ए से प्रभावित हुए बिना स्वयं विचार किया जाए। इसलिए, यह देखते हुए कि निरीक्षण स्वयं पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा किया जाना चाहिए था, और ऐसा कार्य प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता था, उच्च न्यायालय इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की सराहना करने में विफल रहा। अदालत। कोई भी रिपोर्ट जो मांगी गई थी, वह अनिवार्य रूप से अपीलीय प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने की प्रकृति की थी। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश, सभी आवश्यक सामग्री पर विचार करने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने दम पर दिया गया एक आदेश माना जाना चाहिए, और शक्ति के प्रयोग को दूषित करने वाले किसी भी आवश्यक कार्यों का कोई प्रत्यायोजन नहीं था। [पैरा 8,16,17] [367-बी-सी; 376-बी, डी-एच; 377-ए-बी]

2.1 अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (1) के तहत, यदि यह मानने का कारण है कि बाजार मूल्य वास्तव में निर्धारित नहीं किया गया है

पंजीकरण के लिए निविदा किए गए दस्तावेज में कलेक्टर को एक संदर्भ दिया जा सकता है, जिसे (i) पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद; और (ii) इस तरह से जांच करने के बाद जो नियमों द्वारा निर्धारित किया जाए, संबंधित संपत्ति का सही मूल्य निर्धारित करना होगा। यह धारा अपने आप में ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर कलेक्टर द्वारा पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाना है। इसमें केवल यह कहा गया है कि जांच "ऐसे तरीके से" की जाए जो नियमों द्वारा निर्धारित की जाए। नियमों के अनुसार, जांच करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता हैः ऊपर बताए गए संदर्भ की प्राप्ति पर, कलेक्टर को फॉर्म I में [2020] 11 एस. सी. आर. को नोटिस जारी करना चाहिए।

बाजार मूल्य वास्तव में उक्त साधन में निर्धारित किया गया है। नोटिस में ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने या जवाब देने के लिए नोटिस की प्राप्ति से 21 दिनों का समय देना चाहिए। [नियम 4 (1)] कलेक्टर ऐसे किसी भी नोटिसकर्ता का बयान दर्ज कर सकता है। [नियम 4 (2)]। जाँच के प्रयोजनों के लिए, कलेक्टर कॉल कर सकता है जैसा कि नियम 4 (3) में विस्तार से कहा गया है, किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से जानकारी या जांच और बयान दर्ज करें या उचित सूचना के बाद संपत्ति का निरीक्षण करें। अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद,

और अभिलेख और साक्ष्य, बाजार मूल्य निर्धारित करने वाला एक अनंतिम आदेश पारित किया जाना चाहिए जो इस तरह के निष्कर्ष के लिए आधार का संकेत देता है। [नियम 4 (4)]। अनंतिम आदेश को फॉर्म II में सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाना चाहिए जिन्हें

आपत्तियाँ रखने के लिए कुछ समय दिया जाए, यदि वे चाहें; और उनकी सुनवाई नोटिस में निर्धारित दिन या ऐसे अन्य दिन पर की जानी चाहिए जो निर्धारित किया जाए। [नियम 6] लिखित अभ्यावेदन और सुनवाई के समय आग्रह किए गए अभ्यावेदन के साथ-साथ सभी प्रासंगिक कारकों और साक्ष्य पर विचार करने के बाद, कलेक्टर को एक आदेश पारित करना चाहिए।

संबंधित संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करना और

व्यक्ति लिखित रूप में आपत्तियाँ उठाने के हकदार हैं और उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, नियम 7 के संदर्भ में आदेश पारित किया जा सकता है। ये सभी चरण तीन महीने में पूरे नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, नियम 7 में संदर्भ है - "पहला नोटिस" और "फॉर्म I में नोटिस" नहीं करना। नियम 7 के तहत आदेश के पारित होने के चरण से पहले के संदर्भ और विभिन्न चरणों को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ पहले "नोटिस द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल नाडु और ओआरएस" के लिए होना चाहिए।

वी. के. बास्करन

फॉर्म II "में। प्रपत्र II में संभवतः एक से अधिक सूचनाएँ हो सकती हैं, विशेष रूप से जब सुनवाई एक स्थगित तिथि पर होनी है और इसलिए प्रपत्र II में पहली सूचना से अवधि की गणना की जानी चाहिए। तुरंत बाद की अभिव्यक्ति

" नियम 7 में पहली सूचना "संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण" है। यह भी संकेत है कि सूचना का संदर्भ तुरंत पूर्ववर्ती नियम 6 में प्रपत्र II में एक है। [पैरा 21] [379-एच; 380-ए-डी]

मैसूर राज्य और अन्य बनाम। वी. के. कंगन और अन्य (1976) 2 एस. सी. सी. 895: [1976] 1 एस. सी. आर. 369; टी. वी. उस्मान बनाम खाद्य निरीक्षक, तेलीचेरी नगरपालिका, तेलीचेरी (1994) 1 एस. सी. सी. 754 पी. टी. राजन बनाम टी. पी. एम. साहिर और अन्य (2003) 8 एससीसी 498: [2003] 4 पूरक। एससीआर 84; मैकिनन मैकेंजी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम। माचिनन कर्मचारी संघ (2015) 4 एस. सी. सी. 544: [2015] 4 एस. सी. आर. 45; यूपी राज्य बनाम बाबू राम उपाध्याय ए. आई. आर. 1961 सी 751:

[1961] एस. सी. आर. 679; श्रीफ उद्दीन बनाम। अब्दुल गनी लोन

(1980) 1 एससीसी 403: [1980] 1 एससीआर 1177-पर भरोसा किया गया।

2.3 धारा 47-ए अपने आप में कोई समयसीमा निर्धारित नहीं करती है। यदि तीन महीने की अवधि की शर्त या निर्धारण नियम 6 के संदर्भ में या प्रपत्र II में सूचना से पहली सूचना को अनिवार्य माना जाता है जिससे विसंगति की स्थिति पैदा हो जाएगी। तथ्य यह है कि फॉर्म II नोटिस जारी किया गया था, इसका मतलब यह होगा कि रिकॉर्ड और सामग्री के प्रथम दृष्टया देखने पर, लिखत में बताया गया मूल्य सही मूल्य नहीं था; जिसका मतलब यह होगा कि प्रथम दृष्टया सरकारी खजाने को सही बकाया राशि से वंचित किया जा रहा था। यदि किसी कारण से कार्यवाही नहीं की जाती है

तीन महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इसलिए, इसे दूषित माना जाना चाहिए, जनहित को नुकसान होगा, और जो व्यक्ति वास्तविक मूल्य को दबाने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार थे, उन्हें लाभ होगा। तीन महीने की अवधि को शामिल करते हुए नियम 7 का संशोधन अनिवार्य रूप से लोक अधिकारियों को प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए था, लेकिन इसका उद्देश्य उन लोगों के पक्ष में अधिकार पैदा करना नहीं था जिन्होंने पहली नजर में सार्वजनिक हित के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार किया था। विशेष रूप से,

संबंधित प्रावधान ने गैर के लिए कोई परिणाम नहीं बताया है तीन महीने की उक्त अवधि का पालन। समयरेखा का निर्धारण [2020] 11 एस. सी. आर.

इसलिए नियम 7 में तीन महीने की अवधि विशुद्ध रूप से निर्देशिका है। [पारस 25,26] [385-डी-एफ, जी-एच; 386-ए]

मैसूर राज्य और अन्य बनाम। वी. के. कंगन और अन्य (1976) 2 एस. सी. सी. 895: [1976] 1 एस. सी. आर. 369-निर्भर।

3.1 अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (6) अधिकार देती है

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए, धारा 47-ए की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत पारित आदेश की शुद्धता की मांग और जांच करने के लिए; और यदि आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, तो प्रमुख

नियंत्रक प्राधिकरण ऐसी जांच कर सकता है या ऐसी जांच करा सकता है और या तो ऐसे आदेश को संशोधित, संशोधित या अलग कर सकता है और कोई भी आदेश पारित कर सकता है जो उसे उचित लगे। उक्त शक्ति के प्रयोग पर कुछ सीमाएँ हैं, क्योंकि नहीं उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत पारित आदेश के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यदि उस आदेश के खिलाफ अपील करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, या यदि पांच साल से अधिक समय हो गया है।

आदेश पारित होने के बाद समाप्त हो गए हैं। इसके अलावा, यदि पांच साल की अवधि समाप्त हो गई है, तो स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक अन्य सीमा उप-धारा (8) द्वारा निर्धारित की गई है, जिसके संदर्भ में स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न मिले। इन सीमाओं के अलावा, वैधानिक प्रावधान कोई अन्य प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, और मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान की जाती है कि धारा 47-ए की उप-धारा (2) या (3) के तहत पारित कोई भी आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है। [पैरा 30] [390-डी-जी]

राजेंद्रन बनाम। पंजीकरण महानिरीक्षक, तमिलनाडु और अन्य 2012 (3) सीटीसी 589-पर निर्भर थे।

3.2 वर्तमान मामले में, संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त नोटिस जारी किया गया था और इसलिए, उस पर कोई कमजोरी नहीं थी।

धारा 47-ए की धारा (6), अपील को प्राथमिकता देने की अवधि वह अवधि समाप्त नहीं हुई थी, या कि उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत आदेश पारित होने के बाद पांच साल से अधिक समय समाप्त हो गया था। परिस्थितियों में, कोई भी सीमा नहीं जो क़ानून

शक्ति के प्रयोग पर थोपा गया है मौजूद थे। [पैरा

30] [391 - ए-बी] द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल नाडु और ओआरएस। वी. के. बास्करन

मेसर्स राम कनई जामिनी रंजन पाल प्रा. लि. लिमिटेड वी. सदस्य, राजस्व बोर्ड, पश्चिम बंगाल (1976) 3 एससीसी 369: [1976] पूरक। एस. सी. आर. 110; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम। वृंदावन शर्मा और एक अन्य (1995) 3 सप्लीमेंट। एस. सी. सी. 249; विजयबाई और अन्य बनाम। श्रीराम तुकाराम और

अन्य (1999) 1 एस. सी. सी. 693: [1998] 3 पूरक। एस. सी. आर. 54; श्री बालाजी राइस मिल, बेल्लारी बनाम। कर्नाटक राज्य (2005) 4 एससीसी 21: [2005] 3 एस. सी. आर. 12-पर निर्भर।

3.3 पुनरीक्षण शक्ति "स्वतः संज्ञान" या "इसके प्रस्ताव पर" का प्रयोग करने के लिए, संबंधित प्राधिकारी को संतुष्ट होना चाहिए कि एक आदेश

प्राधिकरण या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल हो सकता है। यदि अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग की सामान्य और नियमित प्रक्रिया के माध्यम से किसी दुर्बलता या अवैधता को पुनरीक्षण प्राधिकरण के संज्ञान या जानकारी में लाया जाता है, तो पुनरीक्षण की शक्ति का निश्चित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण प्राधिकारी को उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, स्वयं पंजीयक द्वारा पसंद की गई अपील से भी एकत्र किया जा सकता है। वह केवल एक अवसर या स्रोत हो सकता है जो प्राधिकरण को प्रक्रिया में संभावित दुर्बलता या अवैधता के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। इतना जागरूक होने पर, पुनरीक्षण प्राधिकरण बाद में उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करेगा। [पैरा 35] [395-ई, एफ-एच] 3.4 अधिनियम की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य धारा 47-ए के तहत स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करना है।

और इसे उन मामलों तक सीमित करता है जहां किसी भी अवैधता का ज्ञान या

अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों में दुर्बलता को लंबित अपील के अलावा अन्य स्रोतों से एकत्र किया जाना चाहिए। जब तक कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से भी शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है, तब तक शक्ति, किसी अन्य सीमा को पढ़ने का कोई अवसर नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने किसी भी मामले में शक्ति के प्रयोग को अमान्य नहीं पाया है और न ही उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई प्रस्तुति दी गई है। उच्च न्यायालय बस सत्ता के अस्तित्व पर चला गया था

शक्ति के प्रयोग के बजाय। ऐसा नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया आकलन या तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था, या इतना स्पष्ट रूप से गलत था कि इसे कभी भी कायम नहीं रखा जा सकता था। उच्च न्यायालय ने [2020] 11 एस को दरकिनार करते हुए पूरी तरह से गलती की।

संबंधित लेखक द्वारा ली गई शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से अवैधता और हित के प्रति पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए किया गया था इस प्रकार यह अभ्यास बिल्कुल सही था, और इसके अनुसरण में पारित आदेशों को दरकिनार करने का अवसर भी था

[पैरा 36] [396-सी-एफ]

साहनी सिल्क मिल्स (पी) लिमिटेड और एक अन्य वी। कर्मचारी राज्य

बीमा निगम (1994) 5 एससीसी 346: [1994] 1

पूरक। एस. सी. आर. 626; प्रद्युत कुमार बोस बनाम। माननीय

कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश [1955] 2 एससीआर

1331 ; भारत संघ और एएनआर। वी. पी. के. रॉय और अन्य।

[1968] 2 एस. सी. आर. 186; बॉम्बे राज्य (महाराष्ट्र) v.

शिवबालक गौरीशंकर दुबे और अन्य [1965] 1

एस. सी. आर. 211; सिद्धार्थ सरावगी बनाम। के लिए न्यासी मंडल

कोलकाता बंदरगाह और अन्य (2014) 16 एस. सी. सी. 248:

[2014] 14 एस. सी. आर. 1493-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1994] 1 पूरक। एससीआर 626

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[1955] 2 एससीआर 1331

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

[1968] 2 एससीआर 186

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[1965] 1 एससीआर 211

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2014] 14 एससीआर 1493

संदर्भित किया गया है

पैरा

13

[1976] 1 एससीआर 369

उस पर भरोसा करें

पैरा

23 ए

(1994) 1 एस. सी. सी. 754

उस पर भरोसा करें

पैरा

23 बी

[2003] 4 पूरक। एससीआर 84

उस पर भरोसा करें

पैरा

23 सी

[2015] 4 एससीआर 45

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[1961] एससीआर 679

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[1980] 1 एससीआर 1177

उस पर भरोसा करें

पैरा

24

[1976] पूरक। एससीआर 110

उस पर भरोसा करें

पैरा

32

(1995) सप. 3 एससीसी 249

उस पर भरोसा करें

पैरा

33 ए

[1998] 3 पूरक। एससीआर 54

उस पर भरोसा करें

पैरा

33 बी

[2005] 3 एससीआर 12

उस पर भरोसा करें

पैरा 34 द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल नाडु एंड ऑर्स। वी. के. बास्करन

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2586

2020 से।

उच्च न्यायालय के 02.02.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2012 के सी. एम. ए. सं. 2666 में मद्रास में न्यायिक कार्य।

के साथ सी . ए. सं. 2587 , 2588 , 2589-2592 , 2593-2597 , 2598 , 2599 , 2600

2020 से।

जयंत मुथ राज, ए. ए. जी., एस. नागमुथु, सीनियर एड. , एम. योगेश

कन्ना, एस. राजा राजेश्वरन, सुश्री उमा प्रसुन बाचू, टी. सुंदर रामनाथन, अभिषेक आनंद, ईशान चक्रवर्ती, एम. पी. देवनाथ, एम. ए. वेंकट सुब्रमण्यन, राकेश के. शर्मा, के. वी. मोहन, के. वी. बालकृष्णन, राहुल कुमार शर्मा, राघव शंकर, प्रतीक

के. चड्ढा, सुश्री अर्शिया शारदा, पी. जे. जॉर्ज, मधुसूदन रेड्डी, नजीब उस्मान खान, एम. पी. श्रीविग्नेश, अबिनया कलैगनन टी., जोस अब्राहम, पुलकित तारे, डी. कुमानन, शुभेंदु सुवासिस दास, सुश्री मिशा रोहतगी मोहता, मुथु थंगातुरई, जॉनसन सुब्बा, नकुल मोहता, एंटनी आर. जूलियन, दानिश जुबैर खान, अनीश आर. शाह, मंजूनाथ मेलेड, एम. वी. वी. रमना, गणेश कुमार आर., अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. ये आठ अपीलें आम सवाल उठाती हैं जो

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ('अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 47 ए 1 और तमिलनाडु स्टाम्प (उपकरणों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियम, 1968 ('नियम', संक्षेप में) की व्याख्या, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है। अधिनियम की धारा 47-ए अब बनी हुई हैः

" धारा 47-ए। परिवहन उपकरण आदि का कम मूल्यांकन किया गया

कैसे निपटा जाए। - (1) यदि पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किया जाता है

भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केंद्रीय अधिनियम XVI) के तहत, परिवहन के किसी भी साधन को पंजीकृत करते समय, [विनिमय, उपहार,

बेनामी अधिकार या समझौते की रिहाई] के पास यह मानने का कारण है कि

जिसकी संपत्ति का बाजार मूल्य विषय वस्तु है

1 जैसा कि 1967 के तमिलनाडु अधिनियम 24 द्वारा जोड़ा गया है। बाद में, तमिलनाडु अधिनियम 1 द्वारा

2000 , उप-धारा 47-ए में धारा (4) से (10) को उप-धारा (4) और (5) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हस्तांतरण, आदान-प्रदान, उपहार, बेनामी अधिकार या निपटान की रिहाई,

यदि लिखत में वास्तव में उल्लेख नहीं किया गया है, तो वह ऐसे लिखत को पंजीकृत करने के बाद, ऐसी संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय उचित शुल्क के निर्धारण के लिए कलेक्टर को संदर्भित कर सकता है।

(2) उप-धारा (1) के तहत निर्देश की प्राप्ति पर, कलेक्टर, पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद, संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करेगा जो हस्तांतरण, विनिमय, उपहार, बेनामी अधिकार या निपटान की रिहाई और उपरोक्त कर्तव्य का विषय है। शुल्क की राशि में अंतर, यदि कोई हो, तो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा।

उप-धारा (2) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार। शुल्क की राशि में अंतर, यदि कोई हो, तो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा देय होगा। बशर्ते कि इस उप-धारा में कुछ भी किसी पर लागू नहीं होगा

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो राशि में अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत शुल्क, ऐसी अवधि के भीतर देय होगा जो निर्धारित की जाए। इस तरह के डिफ़ॉल्ट में

भुगतान, चूक की तारीख को बकाया शुल्क की ऐसी राशि ऐसे लिखत में प्रभावित संपत्ति पर शुल्क लगेगा। इसके भुगतान के लिए निर्दिष्ट तिथि के बाद बकाया बची किसी भी राशि पर, शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पंजीकरण के महानिरीक्षक, तमिल यू और ओआरएस के अलावा भुगतान करेगा।

वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

देय राशि, चूक की पूरी अवधि के लिए ऐसी राशि पर प्रति माह एक प्रतिशत का ब्याज।

(5) उप-कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

धारा (2) या उप-धारा (3), ऐसे प्राधिकरण को अपील कर सकती है जो इस संबंध में विहित किया जाए। ऐसी सभी अपीलों को ऐसे समय के भीतर प्राथमिकता दी जाएगी और उनकी सुनवाई और निपटान इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(6) मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण स्वतः ही कॉल कर सकता है। उप-धारा (2) या उप-धारा (2) के तहत पारित आदेश के लिए और उसकी जांच करना।

धारा (3) और यदि ऐसा आदेश राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है, तो वह ऐसी जांच कर सकता है या ऐसी जांच करा सकता है और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश को संशोधित करने, संशोधित करने या अलग करने के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है और उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(7) मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण शुरू नहीं करेगा। उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत पारित किसी आदेश के खिलाफ कार्यवाही यदि -

((क) उस आदेश के विरुद्ध अपील करने का समय समाप्त नहीं हुआ है; या
(ख) ऐसे व्यक्ति के गुजरने के बाद पाँच साल से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

आदेश दें।

(8) उप-धारा (6) के तहत किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश नहीं

(9) उप-धारा (7) के खंड (ख) में निर्दिष्ट अवधि की गणना करने में, वह समय जिसके दौरान प्रमुख के समक्ष कार्यवाहियां होती हैं। न्यायालय के आदेश के तहत नियंत्रित राजस्व प्राधिकरण को बाहर रखा जाएगा।

(10) उप-धारा (6) के तहत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण की उप-धारा (5) के तहत निर्धारित प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित समय के भीतर और इस तरह से, उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्पष्टीकरण। - इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, किसी भी संपत्ति का बाजार मूल्य वह मूल्य अनुमानित किया जाएगा जो नियंत्रक या मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण या उच्च न्यायालय की राय में हो। न्यायालय, जैसा भी मामला हो, ऐसी संपत्ति प्राप्त होती या प्राप्त होती, यदि इसे परिवहन, विनिमय, उपहार, रिहाई या बेनामी के साधन के निष्पादन की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता।

अधिकार या समझौता "।

3. 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15790 से उत्पन्न अपील को प्रमुख मामले और उक्त अपील से संबंधित तथ्यों के रूप में लिया जाता है।

सुविधा के लिए विस्तार से निर्धारित किए गए हैं। अन्य अपीलों में शामिल तथ्य मामले की संख्या, आदेशों की तारीखों और विचाराधीन संपत्तियों के विवरण जैसे विवरणों को छोड़कर लगभग समान हैं।

4. 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.15790 से अपील निम्नलिखित परिस्थितियों में 2012 के CMA संख्या 2666 में उच्च न्यायालय 2 द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 02.02.2018 से उत्पन्न होती हैः

उ. प्रत्यर्थी ने आर. एस. No.372/2 ए-सिद्धरावुतनपालयम गाँव, तिरुपुर तालुक, इरोड में दो संपत्तियाँ खरीदीं।

(डाक टिकट), कोयम्बटूर अर्थात अपीलार्थी सं. 2, धारा 47-ए के तहत अधिनियम।

ग. 13.9.2000 पर अपीलार्थी संख्या 2 ने Mu.Pa में प्रपत्र संख्या 1 नोटिस जारी किए। (एस. आर) 2000 डी का No.3667 और Mu.Pa। (एस. आर) नं. 3668/2000 D ने प्रत्यर्थी से स्पष्टीकरण मांगा कि क्रमशः रु. 2,66,088/- और रु. 2,76,132/- का घाटा स्टाम्प शुल्क क्यों नहीं एकत्र किया जाना चाहिए। इसके बाद, अपीलार्थी सं. 2 ने प्रपत्र सं. II प्रत्यर्थी को 04.02.2003 पर नोटिस, जिसके द्वारा संपत्ति का अनंतिम मूल्य रुपये की दर से निर्धारित किया गया था। 58.30/- प्रति वर्ग मीटर। फीट। रुपये के मूल्य के मुकाबले। 10.34/- प्रति वर्ग मीटर। फीट। विचाराधीन बिक्री विलेखों में दिया गया है।

2 मद्रास में उच्च न्यायालय-द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

D. अपीलकर्ता संख्या 2 ने Mu.Pa में 30.04.2003 पर अंतिम आदेश जारी किए। (एस. आर) नं. 3667 और 2000 डी का 3668. Mu.Pa में। (एस. आर) 2000 डी का No.3667, यह देखा गयाः -

इसलिए, फॉर्म II में अस्थायी आदेश जारी किया गया था। न तो खरीदार से आपत्तियाँ प्राप्त हुईं और न ही सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। यह पता चला है कि पंजीकरणकर्ता को दस्तावेज़ के मूल्यांकन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है। एतद्द्वारा पुष्टि करने का आदेश दिया जाता है अस्थायी रूप से निर्धारित मूल्य जैसा कि संदर्भ 3 में उद्धृत प्रपत्र II में उल्लिखित है।

एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि विवरण के अनुसार दस्तावेज़ के माध्यम से खरीदे गए खुले बाजार मूल्य को अंत में Rs.26,95,400/- पर निर्धारित किया जाए।

पूर्व पृष्ठ में नोट किया गया।

उपरोक्त मूल्य के संदर्भ में, पहले से भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क को छोड़कर, 3,23,448/- पर देय स्टाम्प शुल्क, Rs.57,360/घाटे वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाना है।

छियासठ हजार अड़सठ केवल)।

पंजीकृत व्यक्ति से अनुरोध है कि वह खाते के शीर्ष 0030 स्टाम्प पंजीकरण के तहत घाटे वाले स्टाम्प शुल्क रु. 2,66,088/- का भुगतान करे।

030 जी शुल्क घाटे का स्टाम्प शुल्क ए. बी. ए. ए. 0202 भारतीय स्टेट बैंक या उप कोषागार कार्यालय में और मूल चालान इस आदेश की तारीख से 2 सप्ताह के भीतर इस कार्यालय में भेजा जाएगा।

Mu.Pa में। (एस. आर) 2000 डी के No.3668, बाजार मूल्य का आकलन Rs.27,97,100/- पर किया गया था और इसी तरह के परिणामी निर्देश पारित किए गए थे। ई. प्रत्यर्थी ने वैधानिक अपील दायर की जिसे पंजीकरण महानिरीक्षक यानी अपीलार्थी संख्या 1 ने आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया।

दिनांकित 05.08.2005। अपीलीय स्तर पर, जिला पंजीयक, इरोड से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिसे 05.08.2005 दिनांकित आदेश में निम्नानुसार संदर्भित किया गया थाः

..... इस अपील को स्वीकार कर लिया गया और उप महानिरीक्षक कोवई को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और दस्तावेज़ संपत्ति परिसर का निरीक्षण करने और जांच के अनुसार दस्तावेज़ संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य के निर्धारण की सिफारिश करने के लिए।

जिला राजस्व अधिकारी (डाक टिकट) से भी फाइल की आवश्यकता थी। जिला राजस्व अधिकारी की मूल फाइल के अवलोकन पर (डाक टिकट) कार्यालय और यह पाया गया कि चूंकि अपीलार्थी पूछताछ के लिए नहीं आया और माना कि कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए

दिशानिर्देश मूल्य की पुष्टि की गई थी।

उप महानिरीक्षक कोवई से प्राप्त पत्र के साथ संलग्न जिला पंजीयक इरोड की रिपोर्ट में उन्होंने सिफारिश की है कि घटनास्थल का निरीक्षण करते समय

सर्वेक्षण क्षेत्र 21.02.2002 पर पंजीकरण की तारीख को गाँव में पड़ी संपत्तियों को इसके साथ शामिल नहीं किया गया था

नगरपालिका और इसे केवल 01.04.2003 पर नगरपालिका के साथ शामिल किया गया था, क्योंकि दस्तावेज़ संपत्तियों को नगरपालिका क्षेत्र में शामिल किया गया था, वर्तमान में मूल्य Rs.200/- प्रति वर्ग मीटर तय किया गया है। फीट। और यह रुपये पर मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयुक्त है। 58.30/- प्रति वर्ग मीटर। फीट। , पंजीकरण की तारीख पर "।

एफ. प्रतिवादी ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में 2012 का सी. एम. ए. संख्या 2666 दायर किया, जिसमें उक्त आदेश दिनांक 05.08.2005 को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय और दिनांक 02.02.2018 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने अपना कर्तव्य पंजीकरण उप महानिरीक्षक को सौंप दिया था, जो एस. शांति बनाम के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ था। मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण (2012 का सी. एम. ए. संख्या 2820) ने 05.06.2015 पर निर्णय लिया।

यह भी देखा गया कि नियम 6 का पालन नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार

निष्कर्ष निकालाः

" 8. इसलिए, पहले उत्तरदाता को प्रत्यायोजित करने का अधिकार नहीं है।

उसे दी गई शक्तियाँ। इसी तरह, संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय अधिकारियों द्वारा नियमों के नियम 6 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार, नियम 6 के उल्लंघन को देखते हुए पूरी कार्यवाही को दूषित कर दिया जाता है और

11 - नियमों में से ए। तदनुसार, प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है और वही निर्धारित किया गया है एक तरफ। अधिकारियों को दस्तावेज़ जारी करने का निर्देश दिया जाता है

अपीलार्थी "।

हालाँकि, यह नहीं बताया गया था कि नियम 6 द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का पालन कैसे नहीं किया गया था।

जी. एस. शांति (ऊपर) में जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह निम्नानुसार थाः

उन्होंने पंजीकरण के महानिरीक्षक, तमिल यू और ओआरएस का निरीक्षण किया। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

" 17. प्राधिकरण को एक क़ानून के तहत कुछ कार्य प्रदान किए गए हैं

इसे अपने दम पर इस तरह के कार्य को पूरा करना है और नहीं कर सकते हैं

किसी भी चिंतन की अनुपस्थिति में इसे दूसरे को सौंप दें।

संपत्ति का निरीक्षण करना पड़ता है और कोई सक्षम प्रावधान नहीं है नियमों के तहत या अधिनियम के तहत ऐसी शक्ति सौंपने के लिए। इसलिए, उत्तरदाताओं के कहने पर अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दूषित हो जाता है।

पूरी कार्यवाही।

18. दूसरे उत्तरदाता की ओर से अंतिम परीक्षा पास करने में विफलता

प्रपत्र की तारीख से 3 महीने के भीतर आदेश-मैं नियमों के नियम 7 के तहत अनिवार्य रूप से नोटिस करता हूं जो पूरी कार्यवाही को दूषित करता है। प्रपत्र-I

17.05.2005 पर नोटिस जारी किया गया और अंतिम आदेश पारित किया गया

05.12.2006 पर, 11/2 वर्षों के बाद, यानी 3 महीने के बाद और इसलिए

पूरी कार्यवाही दूषित हो जाती है।

19. विवादित आदेश प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा विशुद्ध रूप से जिला पंजीयक/उप-पंजीयक की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है।

तहसीलदार, जो अधिनियम के तहत अधिकृत नहीं हैं और इसलिए

कहा गया कि निरीक्षण रिपोर्ट अधिनियम के तहत हकदार अधिकारियों द्वारा एकत्र की गई सामग्री नहीं है। अतः द्वितीय प्रत्यर्थी की कार्यवाही

और पहले उत्तरदाता को दूषित कर दिया जाता है।

5. इसी तरह के आदेश उच्च न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में पारित किए गए थे जिनके आदेश वर्तमान में सहयोगी मामलों में अपील के अधीन हैं। तब से

नियमों में निहित प्रावधानों की पृष्ठभूमि में अड़चनें उत्पन्न होती हैं,

नियमों की धारा 4 से 7 और 11 ए को नीचे उद्धृत किया गया है: -

" 4. धारा 47-ए के तहत संदर्भ की प्राप्ति पर प्रक्रिया।

(1) धारा 47-ए की उप-धारा (1) के तहत एक पंजीकरण अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर, कलेक्टर फॉर्म I में एक नोटिस जारी करेगा।

(क) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा, और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति के लिए जिसके पक्ष में उपकरण किया गया है

निष्पादित किया।

उसे संदर्भ की प्राप्ति के बारे में सूचित करना और उससे पूछना उसे अपने अभ्यावेदन, यदि कोई हो, लिखित रूप में प्रस्तुत करें ताकि यह दिखाया जा सके कि संपत्ति का बाजार मूल्य वास्तव में [2020] 11 एस. सी. आर. में निर्धारित किया गया है।

लिखत, और नोटिस की सेवा की तारीख से 21 दिनों के भीतर अपने अभ्यावेदन के समर्थन में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करना।

(2) कलेक्टर, यदि वह उचित समझता है, तो किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज कर सकता है जिसे उप-नियम (1) के तहत नोटिस जारी किया गया है। (3) कलेक्टर अपनी जाँच के उद्देश्य से -

(क) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के तहत किसी भी सार्वजनिक कार्यालय, अधिकारी या प्राधिकरण से किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल करें;

(ख) सरकार या स्थानीय निकाय के तहत जनता, अधिकारी या प्राधिकरण के किसी भी सदस्य के बयानों की जांच और रिकॉर्ड करना।

(ग) पक्षकारों को उचित सूचना देने के बाद संपत्ति का निरीक्षण करें। चिंतित हैं।

(4) जिस व्यक्ति को उप-नियम (1) के तहत नोटिस जारी किया गया है, उससे प्राप्त अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद,

संपत्तियों का बाजार मूल्य और देय शुल्क। जिस आधार पर अस्थायी बाजार मूल्य तय किया गया था, उसे आदेश में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा। 5. बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए सिद्धांत। - कलेक्टर, जहाँ तक संभव हो, अनंतिम बाजार मूल्य पर पहुँचने में निम्नलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान देगा।

(क) भूमि के मामले में -

((i)

शुष्क, मनवरी, गीली और भूमि के रूप में भूमि का वर्गीकरण जैसे;

((ख)

बस्ती में विभिन्न तरामों के तहत वर्गीकरण पंजीकरण और खाते;

(iii)

प्रत्येक वर्गीकरण के लिए राजस्व मूल्यांकन की दर;

((iv)

भूमि के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

प्रश्न में;

लिखत के पक्षकारों द्वारा उल्लिखित अंक, यदि कोई हों,

(v)

या कोई अन्य व्यक्ति जिसे विशेष आवश्यकता हो

विचार करें।

; ई. सी. जी. आर. ए. आर. एल. ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिलओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

आसपास की भूमि या आसपास की भूमि का मूल्य;

भूमि से औसत उपज, सड़क और बाजार के निकटता, गाँव के स्थान से दूरी, भूमि का स्तर, परिवहन सुविधाएं, सिंचाई के लिए उपलब्ध सुविधाएं जैसे कि तालाब, कुएँ और

पंपसेट।

जब एक कृषि भूमि को एक में परिवर्तित किया जा रहा है आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक भूमि।

ई आवास स्थलों का मामला -

इलाके में आवास स्थलों का सामान्य मूल्य;

सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस मार्ग की निकटता; बाजार, दुकानों और इसी तरह की निकटता;

सार्वजनिक कार्यालयों जैसी जगह पर उपलब्ध सुविधाएं,

अस्पताल और शैक्षणिक संस्थान; विकास गतिविधियाँ, औद्योगिक सुधार

आस-पास; कराधान के संदर्भ में स्थलों का भूमि कर मूल्यांकन

संबंधित स्थानीय अधिकारियों के अभिलेख;

कोई अन्य विशेषताएँ जिन पर विशेष असर पड़ता है

स्थल का मूल्यांकन; और

पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मामले की कोई विशेष विशेषता।

ई भवनों का मामला -

प्रकार और संरचना;

जिस क्षेत्र में निर्माण किया गया था;

प्लिंथ क्षेत्र; निर्माण का वर्ष;

उपयोग की जाने वाली सामग्री; मूल्यह्रास की दर;

दरों में उतार-चढ़ाव; 11 एस. सी. आर.

(viii) कोई अन्य विशेषताएँ जो मूल्य पर असर डालती हैं;
(ix) स्थानीय कर अभिलेखों के संदर्भ में संपत्ति कर

संबंधित प्राधिकारी;

जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है और

(x)

आय, यदि कोई हो, भवन पर प्रति वर्ष प्रतिभूति किए गए किराए के रूप में; और

(xi)

पक्षकारों द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मामले की कोई विशेष विशेषता।

(घ) भूमि, आवास स्थल और भवनों के अलावा अन्य संपत्तियाँ -

संपत्ति की प्रकृति और स्थिति;

(1) ((ख)

जिस उद्देश्य के लिए संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है; और

(111) इस पर असर डालने वाली कोई अन्य विशेष विशेषताएं

संपत्ति का मूल्यांकन।

6. अस्थायी बाजार मूल्य पर पहुंचने के बाद प्रक्रिया। कलेक्टर अपने आदेश की एक प्रति अस्थायी रूप से प्रेषित करेगा।

उन सभी व्यक्तियों के लिए संपत्तियों के बाजार मूल्य और देय शुल्क का निर्धारण करना जो फॉर्म II में सूचना के साथ शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं और पक्षों से अपनी आपत्तियां दर्ज करने का आह्वान करते हैं,

(1) कलेक्टर, लिखित रूप में प्राप्त अभ्यावेदनों और सुनवाई के समय या संबंधित पक्षों से किसी भी अभ्यावेदन के अभाव में या सभी प्रासंगिक कारकों और साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद किसी भी मामले में सुनवाई के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में उनकी विफलता पर विचार करने के बाद। उसके पास उपलब्ध संपत्ति के बाजार मूल्य और लिखत पर देय शुल्क का निर्धारण करने वाली पहली सूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर एक आदेश पारित करता है, और इस तरह से पारित आदेश को पक्षों को सूचित करता है और स्टाम्प शुल्क की राशि में अंतर, यदि कोई हो, एकत्र करने के लिए कदम उठाता है।

(2) आदेश की एक प्रति संबंधित पंजीकरण अधिकारी को उसके रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी।

उन्होंने पंजीकरण के महानिरीक्षक, तमिल यू और ओआरएस का निरीक्षण किया। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

(3) कलेक्टर द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि में अंतर का भुगतान धारा 47-ए की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत पारित अंतिम आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर किया जाएगा। (4) कलेक्टर, धारा 47-ए के तहत स्टाम्प शुल्क और ब्याज, यदि कोई हो, की राशि में अंतर एकत्र करने के बाद, एक

उपकरण पर समर्थन द्वारा प्रपत्र III में प्रमाण पत्र।

11 - ए. अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय। अपीलीय

प्राधिकारी, किसी अपील पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, -

(क) किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल करें,

सरकार या किसी स्थानीय निकाय के अधीन अधिकारी या प्राधिकरण अधिकार;

(ख) किसी भी सदस्य के बयानों की जांच और रिकॉर्ड करना।

सरकार के अधीन प्राधिकारी का लोक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण 3; और

(ग) पक्षकारों को उचित सूचना देने के बाद संपत्ति का निरीक्षण करें।

चिंतित हैं। "

6. हमने श्री जयंत मुथ राज को सुना, विद्वान अतिरिक्त अधिवक्ता

सभी अपीलों में अपीलार्थियों के लिए आर. एल. और मेसर्स। टी. सुंदर

नाथन, एम. ए. वेंकट सुब्रमण्यम, के. वी. मोहन, राघव शंकर,

जॉर्ज और पुलकित तारे, संबंधित अधिवक्ताओं के विद्वान अधिवक्ता थे। निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए उठते हैं: -

1. क्या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देश

अर्थात् मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण (निरीक्षक)

पंजीकरण के जनरल) उप निरीक्षक से पूछने में

पंजीकरण जनरल, या कोई अन्य अधिकारी, स्थल निरीक्षण करने के लिए, अपने कार्यों को सौंपने के बराबर था और नियमों के नियम 11-ए का उल्लंघन किया और इस तरह

पूरी कार्यवाही?

यह सवाल सभी अपीलों में उठता है।

क्या 3 महीने का समय निर्धारित करने वाले नियमों का नियम 7

2 .

कलेक्टर को बाजार निर्धारित करने का आदेश पारित करने के लिए

एक्स. टी. 09.03.2001 पर प्रकाशित राजपत्र के अनुसार है। हालाँकि, भाषा नहीं है

आर से नियम 4 (3) (बी) तक।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पहली सूचना से साधन पर देय संपत्तियों और शुल्क का मूल्य, क्या निर्देशिका है या अनिवार्य है?

यह मुद्दा सभी अपीलों में उत्पन्न होता है, सिवाय विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं। 17103 2019 से।

क्या अपीलीय प्राधिकारी के पास धारा के तहत शक्ति है

3 .

47 संपत्ति के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए अधिनियम का ए

पंजीकरणकर्ताओं द्वारा दायर अपील पर निर्णय लेते समय?

यह मुद्दा केवल विशेष अवकाश की अपील में उत्पन्न होता है।

याचिका (सिविल) सं। 31633-31637 2018 से।

7. इन प्रश्नों से निपटने से पहले, नियम 6 के कथित उल्लंघन से संबंधित मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है। प्रमुख मामले में अपील की याचिका में निम्नलिखित आधार लिए गए हैं: -

" एल. क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि

तत्काल मामले के तथ्यों की सराहना करना जिसमें कोई उल्लंघन नहीं है नियम 6 का हुआ और नियम 6 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया।

एम. क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि इसके विरुद्ध प्रत्यर्थी से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई

प्रपत्र I या प्रपत्र II में जारी किए गए नोटिसों के अनुसार, दूसरा याचिकाकर्ता अंतिम आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ा। पहुँचने की प्रक्रिया

अंतिम बाजार मूल्य के अनुसार उचित रूप से पालन किया गया था

नियम "।

अपीलीय प्राधिकारी का आदेश किसी भी आधार का खुलासा नहीं करता है

इस तरह के उल्लंघन को उठाया जा रहा है। इसलिए, हम पाते हैं कि नियम 6 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। इसी तरह की स्थिति विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या से उत्पन्न अपीलों में प्राप्त होती है। 17103 2019 का और 2018 का 31633-31637।

8. प्रश्न संख्या के संबंध में। 1 , अपीलार्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 11-ए के तहत अपीलीय प्राधिकरण किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण से कोई भी जानकारी मांग सकता है, और सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को संपत्ति का निरीक्षण करने, जानकारी एकत्र करने और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दे सकता है।

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

संपत्ति का निरीक्षण या साक्ष्य का संग्रह और

रिपोर्ट, उसके मुख्य कार्य के प्रत्यायोजन के बराबर नहीं है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रत्येक अपील में संपत्तियों का व्यक्तिगत निरीक्षण करना मानवीय रूप से असंभव होगा। जवाब में, यह की ओर से प्रस्तुत किया जाता है

उत्तरदाताः -

क) जिन शक्तियों को प्रत्यायोजित किया जा सकता है, वे विशेष रूप से अधिनियम की धारा 76-क के तहत प्रदान की गई हैं, और धारा 47-क के तहत शक्ति ऐसी एक शक्ति नहीं है; और

ख) जब तक उप-प्रतिनिधि को किसी कानून के तहत स्पष्ट या निहित रूप से शक्ति प्रदान नहीं की जाती है, तब तक शक्ति को उप-प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है (रिलायंस को साहनी सिल्क मिल्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम कर्मचारी राज्य बीमा में इस न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है।

प्रस्ताव के समर्थन में निगम)।

9. प्रद्यत कुमार बोस बनाम। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्च न्यायालय के पंजीयक के खिलाफ आरोपों की जांच करने और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। रिपोर्ट पर विचार करने और सुनवाई की मंजूरी देने के बाद, पंजीयक को बर्खास्त कर दिया गया।

सेवा से। इस दलील पर विचार करते हुए कि मुख्य न्यायाधीश आरोपों की जांच किसी अन्य न्यायाधीश को नहीं सौंप सकते थे, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित सिद्धांतों को बतायाः

" .... यह सर्वविदित है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग करने वाले एक वैधानिक पदाधिकारी ने केवल एक जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी को पूछताछ और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त करके अपने कार्यों को सौंप दिया है। यह किसी भी प्रशासनिक अभ्यास का सामान्य तरीका है।

शक्ति। कानून के अलावा क्या प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है विशेष रूप से इस प्रकार प्रदान करता है-ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए अंतिम जिम्मेदारी है। जैसा कि शिक्षा बोर्ड बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इंगित किया गया है। राइस ", एक पदाधिकारी जिसे इस मामले में शामिल प्रकृति के प्रशासनिक मामले का फैसला करना है, वह उस सामग्री को प्राप्त कर सकता है जिस पर उसे इस तरह से कार्य करना है जो हो सकता है

संभव और सुविधाजनक, बशर्ते कि केवल प्रभावित पक्ष के पास "किसी भी प्रासंगिक और प्रतिकूल सामग्री को सही या विरोधाभासी करने का उचित अवसर हो"। प्रभु के भाषण से निम्नलिखित अंश

4 (1994) 5 एस. सी. सी. 346 5 (1955) 2 एस. सी. आर. 1331 6 [1911] ए. सी. 1791,182 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

स्थानीय सरकार बोर्ड में कुलाधिपति बनाम। आर्लिज 'उपयुक्त है। और निर्देशात्मकः

प्रशासनिक निकाय जिसके लिए विवाद में किसी प्रश्न का निर्णय पक्षों के बीच सौंपा गया है। इसकी जांच का परिणाम, जैसा कि मैंने कहा है, निर्देशों के अभाव में लिया जाना चाहिए।

इसके विपरीत कानून, जिसे अपनी सामान्य प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने का इरादा है। स्थानीय सरकार बोर्ड के मामले में इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रक्रिया क्या है। बोर्ड के प्रमुख मंत्री अन्य मंत्रियों की तरह सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वह जो कुछ भी करता है उसके लिए ही नहीं बल्कि अपने विभाग में जो कुछ भी किया जाता है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। उन्हें जो काम सौंपा गया है वह बहुत बड़ा है और वह इसका बड़ा हिस्सा खुद नहीं कर सकते। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से अपनी सामग्री प्राप्त करेंगे, और यदि वे देखते हैं कि वे उनके लिए इन सामग्रियों को ठीक से प्राप्त करते हैं तो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है। इससे आगे अपने कर्तव्य का विस्तार करने का प्रयास करना और इस बात पर जोर देना कि उन्हें और बोर्ड के अन्य सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से सब कुछ करना चाहिए, उनकी दक्षता को कम करना होगा। न्यायालय में एक न्यायाधीश के विपरीत वह न केवल स्वतंत्र होता है बल्कि अपनी सहायता पर भरोसा करने के लिए मजबूर होता है।

कर्मचारी "।

10. भारत संघ में और ए. एन. आर. बनाम। पी. के. रॉय और ओआरएस। 3, इस न्यायालय की एक अन्य प्रत्यायोजन पीठ ने निम्नानुसार निर्णय दियाः -

.... दूसरे शब्दों में, यदि कोई वैधानिक प्राधिकरण किसी प्रतिनिधि को सशक्त बनाता है

वर्तमान मामले में हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की थी कि केंद्र सरकार द्वारा अपनी वैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का अनुचित प्रत्यर्पण किया गया है और कि 6 अप्रैल, 1962 की अंतिम श्रेणीकरण सूची इसलिए अधिकार से बाहर और अवैध थी। यहाँ तक कि इस धारणा पर भी कि एकीकरण का कार्य

5] ए. सी. 120,133 बी) 2 एस. सी. आर. 186 ओ. पंजीकरण, तमिल यू और ओ. आर. एस. के सामान्य निरीक्षक हैं। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

केंद्र सरकार को विशेष रूप से सौंपा गया था, हमारी राय है कि केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदम

एकीकरण के मामले में वर्तमान मामला इसके आवश्यक वैधानिक कार्यों के किसी भी प्रत्यायोजन के बराबर नहीं था। उक्त अधिनियम की धारा 115 या 117 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र सरकार को सेवाओं के एकीकरण को प्रभावी बनाने के मामले में राज्य सरकार की सहायता और सहायता लेने से किसी भी तरह से प्रतिबंधित करता है। जब तक अंतिम एकीकरण का कार्य केंद्र सरकार की मंजूरी और अनुमोदन के साथ किया जाता है और जब तक केंद्र सरकार इस पर सामान्य नियंत्रण का प्रयोग करती है

इस मामले में राज्य सरकार की गतिविधियों को यह नहीं माना जा सकता है कि "गैर-सक्षम प्रत्यायोजन" सिद्धांत का कोई उल्लंघन हुआ है। उदाहरण के लिए, इस न्यायालय ने प्रद्वत कुमार बोस बनाम में यह टिप्पणी की थी। कलकत्ता के माननीय मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय "।

11. बॉम्बे (महाराष्ट्र) बनाम शिवबालक राज्य में

इशांकर दुबे और अन्य, उच्च न्यायालय के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल एक्ट, 1948 की धारा 65 (1) के तहत भ्रष्टाचार करने का अपना कर्तव्य नहीं सौंप सकती थी। उक्त निर्णय को दरकिनार करते हुए

ई उच्च न्यायालय, यह कहा गया थाः -

" उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कमजोरी को महसूस करते हुए, श्री पाठक ने दूसरे आधार पर उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने का प्रयास किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि तलथी और मामलातदार द्वारा धारा 65 के तहत जांच की गई थी, न कि डिप्टी कलेक्टर द्वारा, इसलिए डिप्टी कलेक्टर द्वारा की गई घोषणा अमान्य थी। दूसरे शब्दों में, तर्क यह है कि राज्य सरकार ने धारा 65 (1) के तहत अपनी शक्तियों को वैध रूप से उप-कलेक्टर को सौंप दिया होगा, लेकिन उप-कलेक्टर जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, बदले में, अपनी शक्ति या अधिकार का एक हिस्सा अपने अधीनस्थ को नहीं सौंप सकता है, और वर्तमान मामले में उन्होंने यही किया है। यह तर्क आगे बढ़ता है इस आधार पर कि धारा 65 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-कलेक्टर को स्वयं जांच करनी चाहिए और वह नहीं कर सकता है

ऐसी जांच करने का कार्य किसी अन्य अधीनस्थ स्थान अधिकारी को सौंपना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक प्रतिनिधि जिसे प्रिंसिपल से अधिकार प्राप्त हुआ है, बदले में,

मामला। धारा 65 (1) में केवल इतना ही अपेक्षित है कि राज्य सरकार और इसलिए उसके प्रतिनिधि ऐसी जांच करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। उचित समझते हुए घोषणा करें कि भूमि का प्रबंधन फिर से शुरू किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, जांच किस रूप में की जानी चाहिए, यह पूरी तरह से राज्य सरकार या उसके प्रतिनिधि के विवेक पर छोड़ दिया गया है। उप-कलेक्टर ने वर्तमान मामले में जो कुछ भी किया है, वह यह है कि

अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रासंगिक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दें

यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या प्रत्यर्थी की भूमि अपेक्षित अवधि के लिए परती पड़ी थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट मामलातदार को सौंप दी। मामलातदार ने बदले में डिप्टी कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी। दूसरे शब्दों में, डिप्टी कलेक्टर ने जो कुछ भी किया है वह प्रासंगिक सामग्री एकत्र करना है, ताकि वह इस सवाल की जांच कर सके कि क्या भूमि परती पड़ी है या नहीं। इस प्रक्रिया में, हमारी राय में, किसी भी प्रतिनिधिमंडल का सवाल शामिल नहीं है। जाँच का रूप और इसका तरीका पूरी तरह से उप-कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करता है। धारा 65 (1) में यह आवश्यकता नहीं है कि उप-कलेक्टर को स्वयं कृषि क्षेत्रों में जाना चाहिए और मौके पर पूछताछ करनी चाहिए कि क्या वे परती पड़ी हैं। यदि वह चाहे तो स्वयं साक्ष्य दर्ज कर सकता है, या साक्ष्य की रिकॉर्डिंग और मौके पर वास्तविक निरीक्षण कुछ लोगों पर छोड़ दिया जा सकता है। अधीनस्थ अधिकारी। इस तरह के स्थानीय निरीक्षण की रिपोर्ट और उस ओर से एकत्र किए गए साक्ष्य का रिकॉर्ड उप-कलेक्टर को भेजा जाएगा, और यही वह सामग्री होगी जिस पर वह स्वयं जांच करेंगे। इस प्रकार जांच उप-कलेक्टर द्वारा की जाती है, हालांकि सामग्री एकत्र करने का यांत्रिक कार्य एक अधीनस्थ राजस्व अधिकारी को सौंपा गया है। ऐसे मामले में, हम यह नहीं देखते कि एक प्रतिनिधि कैसे ऐसा सिद्धांत नहीं अपना सकता है

प्रतिनिधि कार्य में आता है। "

12. साहनी सिल्क मिल्स 1 मामले में, मुद्दा यह था कि क्या निगम द्वारा कुछ शक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में एक अधिकारी प्राधिकरण, डी आगे उप-प्रतिनिधि ने कहा। यह देखा गया था

:

" 5. अदालतें आम तौर पर कानूनों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों या निकायों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की आवश्यकता में कठोर होती हैं। यह आवश्यक है कि प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग एच. ई. इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, टी. ए. एम. आई. एल. यू. और ओ. आर. एस. द्वारा किया जाना चाहिए।

वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

अधिकार जिसे यह प्रदान किया जाता है और किसी और द्वारा नहीं। साथ ही, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्यायोजन के प्रति अत्यधिक न्यायिक घृणा को चरम पर नहीं ले जाया जा सकता है। एक सार्वजनिक प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एजेंटों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि कई कानूनों में प्रतिनिधि मंडल को या तो स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत किया जाता है। वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा नियंत्रित की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति में भारी वृद्धि के कारण, अधिकतम गैर-शक्तिशाली प्रतिनिधि विशेष रूप से लागू नहीं किया जा रहा है। जब प्रशासनिक विवेकाधिकार के प्रयोग का प्रश्न हो

शक्ति।

6. अब तक यह लगभग तय हो गया है कि विधायिका किसी भी अनुमति दे सकती है।

कानून में ही नीति का संकेत दिए जाने के बाद, किसी अन्य प्राधिकरण को अपनी शक्ति सौंपने का वैधानिक अधिकार।

जिसके ढांचे के भीतर ऐसे प्रतिनिधि को शक्ति का प्रयोग करना है। वास्तविक समस्या या विवाद तब उत्पन्न होता है जब एक उप-प्रतिनिधि मंडल होता है। यह कहा जाता है कि जब संसद ने किसी कार्य के निर्वहन के लिए विशेष रूप से प्राधिकरण नियुक्त किया है, तो यह आसानी से नहीं माना जा सकता है कि उसका इरादा था कि उसके प्रतिनिधि को किसी अन्य व्यक्ति या निकाय को उसके स्थान पर कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। बेरियम में

केमिकल्स लिमिटेड बनाम। कंपनी लॉ बोर्ड ", इस न्यायालय ने उप-प्रतिनिधि मंडल के संबंध में कहाः

" यह ध्यान में रखते हुए कि अधिकतम प्रतिनिधित्व गैर-शक्तिशाली प्रतिनिधित्व करता है यह निर्धारित करता है कि क्या केवल निर्माण का एक नियम है, उप-प्रतिनिधि को बनाए रखा जा सकता है यदि स्पष्ट प्रावधान द्वारा या द्वारा अनुमति दी जाती है

आवश्यक निहितार्थ "।

7. पुनः मंगूलाल चुनीलाल बनाम। मणिलाल मगनलाल ने बंबई प्रांतीय नगर निगम अधिनियम (1949 का 59) की धारा 481 (1) (ए) के दायरे पर विचार करते हुए कहा कि अहमदाबाद नगर निगम के आयुक्त ने उपरोक्त धारा के तहत अपनी शक्ति और कार्य एक नगर अधिकारी को सौंप दिया था ताकि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सके। अधिनियम या नियमों के तहत अपराधों के साथ और जिस अधिकारी को ऐसे कार्य सौंपे गए थे, वह इसे दूसरे को सौंप नहीं सकता था।

1967 एससी 295: 1966 पूरक एस. सी. आर. 311 1968 एस. सी. 822: (1968) 2 एससीआर 401 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में, चौथा संस्करण। , खण्ड. मैं, के संबंध में

ख-शक्तियों का प्रत्यायोजन कहा गया हैः

" मैक्सिम डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर के अनुसार, एक वैधानिक शक्ति का प्रयोग केवल उस निकाय या अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें यह विश्वास किया गया है, (एच. लैवेंडर एंड सन लिमिटेड v. आवासन और स्थानीय सरकार मंत्री 1 2) जब तक कि शक्ति का उप-प्रत्यायोजन स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ (सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कर्मचारी) द्वारा अधिकृत न हो। वी. इलाज। और डीले Ltd.[13] 13 और मुंगोनी बनाम। उत्तरी रोडेशिया के महान्यायवादी 1 4)। इसके खिलाफ एक मजबूत धारणा है

विधायी, न्यायिक या अनुशासनात्मक शक्ति के अनुदान को निहित रूप से प्राधिकृत करने वाले उप-प्रतिनिधिमण्डल के रूप में समझना और यह किसी भी शक्ति के बारे में कहा जा सकता है जिसका प्रयोग करने के लिए नामित शरीर को अपने मन को संबोधित करना चाहिए। अल्लम एंड कंपनी वी. यूरोपा पोस्टर सर्विसेज लिमिटेड 15 "।

हरिशंकर बागला बनाम के मामले में। एम. पी. 1 का राज्य, जबकि

आवश्यक आपूर्ति की धारा 4 का दायरा बढ़ाना

अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 में कहा गया थाः

" अधिनियम की धारा 4 पर इस आधार पर हमला किया गया कि यह केंद्र सरकार को किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को धारा 3 के तहत आदेश देने की अपनी शक्ति सौंपने का अधिकार देता है

इसके अधीन या प्रांतीय सरकार या प्रांतीय सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण के अधीन

केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देश में निर्दिष्ट। दूसरे शब्दों में, प्रतिनिधि को धारा 3 की शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अपनी शक्तियों को और अधिक सौंपने के लिए अधिकृत किया गया है। श्री उमरीगर ने तर्क दिया कि यह स्वयं विधानमंडल पर है कि वह विशेष अधिकारियों या अधिकारियों को निर्दिष्ट करे जो कर सकते हैं।

धारा 3 के तहत शक्ति का प्रयोग करना और केंद्र सरकार को यह कहने का अधिकार देना विधायिका के लिए खुला नहीं था कि कौन सा अधिकारी या प्राधिकरण शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों का संदर्भ दिया गया था-- पनामा

3 सभी ई. आर. 871: (1970) 1 डब्ल्यूएलआर 1231 क्यूबी 340: (1961) 3 सभी ईआर 641: (1961) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 798

सभी ई. आर. 446: (1960) 2 डब्ल्यूएलआर 389: 1960 एसी 336, पीसी

सभी ई. आर. 826: (1968) 1 डब्ल्यूएलआर 638

4 एस. सी. 465,468; (1955) 1 एस. सी. आर. 380 एच. ई. महानिरीक्षक सामान्य पंजीकरण, टी. ए. एम. आई. एल. यू. और ओ. आर. एस.। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

रिफाइनिंग कं. वी. रयान और शेक्टर बनाम। संयुक्त राज्य अमेरिका 1 8. इन दोनों मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक नीति निर्धारित की गई है और एक क़ानून द्वारा स्थापित एक मानक है, तब तक विधायी शक्ति का कोई असंवैधानिक प्रत्यायोजन चयनित लोगों पर छोड़ने में शामिल नहीं है।

उपकरणों के भीतर अधीनस्थ नियमों का निर्माण

निर्धारित सीमाएँ और उन तथ्यों का निर्धारण जिन पर विधायिका द्वारा घोषित नीति लागू होनी है। ये निर्णय। हमारे निर्णय में श्री उमरीगर के तर्क की सहायता न करें क्योंकि हम सोचते हैं कि धारा 4 व्यक्तियों के वर्गों की गणना करती है -

जिसे केंद्र सरकार द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित या उप-प्रत्यायोजित की जा सकती है और यह कहना सही नहीं है कि विधायिका द्वारा उपकरणों का चयन नहीं किया गया है

स्वयं "।

उपरोक्त मामले में, उप-प्रतिनिधि मंडल को बरकरार रखा गया था क्योंकि धारा 4 ने स्वयं उन व्यक्तियों के वर्गों की गणना की थी जिन्हें शक्ति केंद्र द्वारा प्रत्यायोजित या उप-प्रत्यायोजित की जा सकती थी। सरकार।

10. जहाँ तक वर्तमान धारा 94-ए का संबंध है, यह कहता है कि निगम उस ओर से निगम द्वारा बनाए गए किसी भी विनियमन के अधीन, उस विशेष या किसी भी शक्ति और कार्यों को निर्देशित कर सकता है जो निगम द्वारा प्रयोग या निष्पादित किए जा सकते हैं।

निगम, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो निर्दिष्ट की जाए, "निगम के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा भी प्रयोग किया जा सकता है।" धारा 94-ए में विशेष रूप से यह प्रावधान नहीं है कि कोई अधिकारी या प्राधिकारी

निगम के अधीनस्थ, जिसे निगम द्वारा शक्ति सौंपी गई है, अपनी ओर से किसी अन्य अधिकारी को उस शक्ति या कार्य का प्रयोग करने या करने के लिए अधिकृत कर सकता है। लेकिन दिनांक 28-2-1976 के प्रस्ताव द्वारा निगम ने न केवल अधिनियम की धारा 85-B (1) के तहत अपनी शक्तियों को महानिदेशक को सौंप दिया है, बल्कि महानिदेशक को किसी भी अधिकार को अधिकृत करने का भी अधिकार दिया है। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए अन्य अधिकारी। जब तक यह नहीं माना जाता है कि अधिनियम की धारा 94-ए, निगम को अपनी किसी भी शक्ति और कार्यों को निगम के अधीनस्थ किसी भी अधिकारी या प्राधिकरण को सौंपने में सक्षम बनाती है, और वह अपनी ओर से उक्त शक्ति का प्रयोग किसी अन्य अधिकारी को सौंप सकता है, जो प्रस्ताव का अंतिम भाग है।

54) 293 यूएस 388: 79 एल एड 446 4) 295 यूएस 495:

दिनांकित 28-2-1976 को धारा 94-ए के ढांचे के भीतर नहीं माना जा सकता है। हमारे अनुसार, संसद ने पेश करते हुए अधिनियम की धारा 94-ए में केवल निगम द्वारा विभिन्न अधिकारियों या प्राधिकरणों को प्रत्यक्ष प्रत्यायोजन की कल्पना की गई है, जो इसके अधीनस्थ हैं।

निगम, और ऐसे प्रतिनिधि के लिए किसी अन्य अधिकारी को इस तरह से प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग करने या प्रदर्शन करने के लिए अधिकृत करके उस शक्ति को उप-प्रत्यायोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

13. सिद्धार्थ सरावगी बनाम बंदरगाह के लिए न्यासी मंडल

olkata और अन्य ", इस मामले को इस न्यायालय द्वारा इस रूप में निपटाया गया था

:

" 5. किसी व्यक्ति या निकाय को कुछ कार्य करने के लिए गैर-विधायी/प्रशासनिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में, चाहे वह प्रतिनिधि हो। स्वयं को ऐसे कार्य करने हैं या लेने के बाद

प्रतिनिधिमण्डल की शर्तों के अनुसार निर्णय, उक्त एजेंसी कर सकती है

इसे किसी और पर लागू करने के लिए अधिकृत करने पर विचार किया जाना चाहिए। एक बार शक्ति प्रदान किए जाने के बाद, उक्त शक्ति का प्रयोग करने के बाद, प्रक्रिया में लिए गए निर्णय को कैसे लागू किया जाए, यह प्रक्रिया का विषय है। विधायिका, इसके बाद

विधायी नीति निर्धारित करना, एक पर विवेकाधिकार प्रदान करना

प्रतिनिधिमण्डल, मंत्री या लिपिकीय कार्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा किए जा सकते हैं। आधुनिक प्रशासन की जटिलता और आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में राज्य के कार्यों के विस्तार ने यह आवश्यक बना दिया है कि विधायिका विभिन्न प्राधिकरणों को व्यापक शक्तियां दे जब स्थिति की आवश्यकता हो। आज के सरकारी कार्य बहुत अधिक जटिल हैं और शक्तियों के प्रत्यायोजन की आवश्यकता अधिक बाध्यकारी हो गई है। यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि प्रशासनिक निकाय के प्रमुख प्रत्येक कार्य स्वयं करते हैं।

4) 16 एस. सी. सी. 248

मभालिया नगरपालिका बनाम गुजरात राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1048 पी.

1051 , पैरा 7 द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

7. व्यावहारिक आवश्यकताएँ या प्रशासन की आवश्यकताएँ कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी जिसे वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है, वह स्थिति के अनुसार कार्य सौंपने में सक्षम हो।

आवश्यकताएँ हैं। इस प्रकार, मैक्सिम डेलिगेटस नॉन पोटेस्ट डेलिगेयर, एक प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक या मंत्रिस्तरीय कार्यों के प्रदर्शन में रास्ता देता है।

14. इस प्रकार इस न्यायालय के निर्णयों से निम्नलिखित सिद्धांतों को निकाला जा सकता हैः (i) एक वैधानिक पदाधिकारी जो एक शक्ति का प्रयोग करता है

यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने केवल एक जिम्मेदार और सक्षम अधिकारी को पूछताछ और रिपोर्ट करने के लिए प्रतिनियुक्त करके अपने कार्यों को सौंपा है, क्योंकि यह किसी भी प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग का सामान्य तरीका है; (ii) यदि कोई वैधानिक प्राधिकरण किसी प्रतिनिधि को प्रारंभिक कार्य करने और उसे सौंपे गए मामलों में प्रारंभिक निर्णय लेने का अधिकार देता है, लेकिन निर्णय लेने के बाद उसे अनुमोदित या अस्वीकार करने की शक्ति अपने हाथों में रखता है, तो निर्णय को वैध माना जाएगा यदि प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियंत्रण का स्तर निर्णय को प्राधिकरण का अपना मानने के लिए पर्याप्त है; (iii) उप-प्रतिनिधि मंडल के मामलों में भी, जब तक कि प्रतिनिधि द्वारा निर्णय लेने का आवश्यक कार्य किया जाता है, सहायक कार्य करने का बोझ। प्राथमिक प्रतिनिधि को स्वयं मंत्रिस्तरीय कार्यों को भी करना चाहिए; और (iv) प्रशासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं या अनिवार्यताओं के लिए यह आवश्यक है कि निर्णय लेने वाला प्राधिकारी जिसे वैधानिक शक्ति प्रदान की गई है, वह स्थिति की आवश्यकता होने पर कार्यों को सौंपने में सक्षम हो।

15. नियमों का नियम 11 ए अपीलीय प्राधिकरण को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय, अधिकारी या कार्यालय से किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड के लिए कॉल करने का अधिकार देता है। प्राधिकरण या सार्वजनिक कार्यालय या प्राधिकरण के किसी भी सदस्य के बयानों की जांच और रिकॉर्ड करना। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुरूप, इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, यदि अपीलीय प्राधिकरण कोई जानकारी मांगता है या कोई रिकॉर्ड या कोई इनपुट मांगता है, तो यह अपने आप में आवश्यक कार्यों के प्रत्यायोजन के बराबर नहीं होगा। यदि, ऐसी शक्ति के संदर्भ में, अपीलीय प्राधिकारी एक

कुछ पहलुओं की जांच करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी और एक रिपोर्ट की मांग, जो अपीलीय प्राधिकरण में निहित शक्ति के प्रयोग का एक सामान्य तरीका होगा। प्रशासन की व्यावहारिक आवश्यकताओं और अनिवार्यताओं की मांग है कि अपीलीय प्राधिकरण को निरीक्षण करने के बाद जानकारी एकत्र करने जैसे कुछ कार्यों को सौंपने में सक्षम होना चाहिए।

आवश्यक कार्य, अर्थात सभी आवश्यक कारकों और इनपुट पर विचार करने और उसके बाद एक सूचित निर्णय पर पहुंचने के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, सहायक कार्यों को करने का बोझ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

16. अधिनियम की धारा 76-ए के आधार पर प्रस्तुतिकरण पूरी तरह से है

गलत स्थान पर रखा गया है और स्वीकृति के योग्य नहीं है। धारा 76-ए को यहाँ सुविधा के लिए उद्धृत किया गया हैः

" 76 - ए. कुछ शक्तियों का प्रत्यायोजन-राज्य सरकार

आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिनिधि (क) धारा 2 (9), 33 (3) (ख) द्वारा प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियाँ,

70 (1) , 74 और 78 मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को; और

(ख) मुख्य नियंत्रक को प्रदत्त सभी या कोई भी शक्तियाँ। राजस्व-धारा 45 (1), (2), 56 (1) और 70 (2) द्वारा प्राधिकरण

अधीनस्थ राजस्व प्राधिकरण जैसा कि में निर्दिष्ट किया जा सकता है

अधिसूचना "।

धारा 76-ए को प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया था

विकेंद्रीकरण अधिनियम, 1914 (अधिनियम सं. 1914 का चौथा)। प्रविष्टि 44 में विधायी प्रमुख, अर्थात् "न्यायिक डाक टिकटों के माध्यम से एकत्र शुल्क या शुल्क के अलावा अन्य डाक टिकट शुल्क, लेकिन डाक टिकटों की दरों को शामिल नहीं करते हुए" संविधान की अनुसूची VII की समवर्ती सूची में है। धारा 47-ए को राज्य विधानमंडल द्वारा 1967 के तमिलनाडु अधिनियम को अधिनियमित करके प्रधान अधिनियम में जोड़ा गया था, जिसे 29 मार्च, 1968 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। नियम 11-ए सहित नियम धारा 47-ए के अक्षर और भाव को प्रभावी बनाने के लिए बनाए गए थे।

प्रधान अधिनियम की धारा 76-ए राज्य सरकार को सक्षम बनाती है।

प्रधान अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कुछ वैधानिक शक्तियों को मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण को सौंपना। इस तरह

सशक्तिकरण का उस राज्य द्वारा प्रयोग की गई विधायी शक्ति से कोई लेना-देना नहीं है जिसके संदर्भ में धारा 47-ए डाली गई थी, या धारा 47-ए को प्रभावी बनाने के लिए घोषित नियमों से कोई लेना-देना नहीं है। उक्त धारा 47-ए या नियमों के संदर्भ की व्याख्या करने और उन पर विचार करने के लिए, इस तथ्य का कि राज्य सरकार के पक्ष में कुछ अन्य वैधानिक शक्तियां प्रत्यायोजित हैं, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। धारा 47-ए

को राज्य द्वारा अपनी विधायी शक्ति में जोड़ा गया था और इसके तहत बनाए गए नियमों पर विचार किया जाना चाहिए।

अपने दम पर और धारा 76-ए से प्रभावित हुए बिना।

द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

कार्य प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता था, उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों की सराहना करने में विफल रहा। कोई भी रिपोर्ट जो मांगी गई थी, वह अनिवार्य रूप से अपीलीय प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने की प्रकृति की थी। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश, सभी आवश्यक सामग्री पर विचार करने के बाद, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा स्वयं दिए गए आदेश के रूप में लिया जाना चाहिए। और सत्ता के प्रयोग को दूषित करने वाले किसी भी आवश्यक कार्य का कोई प्रत्यायोजन नहीं था। इसलिए, हम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा शक्ति के प्रयोग पर कोई अनुचितता या अयोग्यता नहीं पाते हैं। हम, इस प्रकार, अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई दलीलों को स्वीकार करते हैं, और उस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार को दरकिनार कर देते हैं।

सभी मामलों में नियम 11-ए के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पहुँचा गया। 19. अब हम प्रश्न नहीं की ओर मुड़ते हैं। 2 , जिनके संबंध में उच्च न्यायालय ने इनमें से छह अपीलों में यह निष्कर्ष निकाला था कि अवधि की शर्त

नियम 7 में तीन महीने अनिवार्य होने के कारण, उक्त अवधि की समाप्ति के बाद पारित आदेश अमान्य होंगे। 19.1 अपीलार्थियों की ओर से यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 47-ए की उप-धारा (1) और (2) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती है और

नियम 7 के प्रावधान को कार्यवाही के विभिन्न चरणों के संदर्भ और स्थापना में देखा जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता हैः -

" ... नियम 1968 के नियम 4-7 में कलेक्टर/प्राधिकरण से विभिन्न कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, जैसे कि साक्ष्य के साथ अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने, पक्षों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर विचार करने, अभिलेखों को सत्यापित करने, सार्वजनिक कार्यालय, अधिकारी या कार्यालय से सूचना या अभिलेख के लिए कॉल करने के लिए पक्षों को 21 दिनों का समय देकर प्रपत्र I नोटिस जारी करना।

प्राधिकरण, उचित सूचना के बाद संपत्ति का निरीक्षण करना और पक्षों के बयान दर्ज करना आदि। इसके बाद, संग्राहक को अस्थायी रूप से बाजार मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। नियमों और उसी [2020] 11 एस. सी. आर. में उल्लिखित विभिन्न कारकों पर विचार करना।

सुनवाई के समय आग्रह किए गए अभ्यावेदनों और बिंदुओं पर विचार करें और संपत्तियों के बाजार मूल्य और लिखत पर देय शुल्क निर्धारित करने का आदेश पारित करें और उक्त आदेश को संप्रेषित करें। पूरा अभ्यास समय लेने वाला है और ऐसा नहीं हो सकता है। 3 महीने के भीतर पूरा किया जाए।

19.2 जवाब में, यह उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता हैः

" नियमों के नियम 7 में यह भी आदेश दिया गया है कि कलेक्टर अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद और सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद

आदेश देने के लिए। मूल रूप से अधिनियमित नियम 7 में कलेक्टर के लिए संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण करने का आदेश पारित करने के लिए कोई समय अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। नियम 7 को G.O.Ms.No के माध्यम से संशोधित किया गया था। एक महीने की समय अवधि शुरू करने के लिए पंजीकरण महानिरीक्षक ("1997 संशोधन") के सुझाव पर दिनांक 69 26.02.1997।

20. अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (1) के तहत, यदि यह मानने का कारण है कि बाजार मूल्य वास्तव में निर्धारित नहीं किया गया है

पंजीकरण के लिए निविदा पत्र, कलेक्टर को एक संदर्भ दिया जा सकता है, जो (i) पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद; और (ii) नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से जांच करने के बाद, संबंधित संपत्ति का सही मूल्य निर्धारित करना होगा। यह धारा अपने आप में ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं करती है जिसके भीतर

पूरी प्रक्रिया कलेक्टर द्वारा पूरी की जानी है। इसमें केवल यह कहा गया है कि जांच "इस तरह से" की जाए जो कि जाँचकर्ता जनरल ऑफ़ रजिस्ट्रेशन, तमिल यू और ओआरएस द्वारा निर्धारित की जाए।

वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]एस. इस पृष्ठभूमि में जिस तरीके से जांच की जानी चाहिए, जैसा कि नियमों में है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

नियमों के अनुसार, निम्नलिखित कदम उठाने की आवश्यकता है -

लिया गयाः

ए) ऊपर बताए गए संदर्भ की प्राप्ति पर, कलेक्टर को यह करना होगा कि

फॉर्म I में उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करें जिनके द्वारा और जिनके द्वारा

ऐसे व्यक्तियों को सूचित करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है

यह दिखाने के लिए सभी साक्ष्य प्रस्तुत करें कि बाजार मूल्य वास्तव में उक्त लिखत में निर्धारित किया गया है। नोटिस में ऐसे व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करने या प्रतिनिधित्व करने के लिए नोटिस की प्राप्ति से 21 दिनों का समय देना चाहिए।

जवाब दें। [नियम 4 (1)]

ख) कलेक्टर ऐसे किसी भी नोटिसकर्ता का बयान दर्ज कर सकता है। [नियम 4 (2)]। ग) जाँच के प्रयोजनों के लिए, कलेक्टर किसी भी सार्वजनिक कार्यालय से जानकारी के लिए कॉल कर सकता है या जाँच कर सकता है और रिकॉर्ड कर सकता है।

बयान या उचित सूचना के बाद संपत्ति का निरीक्षण जैसा कि में कहा गया है

नियम 4 (3) में विस्तार से।

घ) अभ्यावेदन, यदि कोई हो, और अभिलेख और साक्ष्य पर विचार करने के बाद, बाजार मूल्य निर्धारित करने वाला एक अस्थायी आदेश पारित किया जाना चाहिए जो इस तरह के निष्कर्ष के लिए आधार दर्शाता है। [नियम 4 (4)] . अस्थायी बाजार मूल्य तक पहुँचने के लिए नियम 5 में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ई) अस्थायी आदेश को फॉर्म II में सभी को सूचित किया जाना चाहिए।

संबंधित व्यक्ति जिन्हें आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए, यदि वे चाहें; और उनकी सुनवाई नोटिस में निर्धारित दिन या ऐसे अन्य दिन पर की जानी चाहिए जो निर्धारित किया जाए। [नियम 6]

च) लिखित अभ्यावेदनों और सुनवाई के समय आग्रह किए गए अभ्यावेदनों के साथ-साथ सभी प्रासंगिक कारकों पर विचार करने के बाद और

साक्ष्य के अनुसार, कलेक्टर को संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य का निर्धारण करने और हस्तांतरण के साधन पर देय शुल्क के तत्व का आकलन करने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए। इस तरह के आदेश को "पहली सूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर" पारित किया जाना आवश्यक है।

[नियम 7]

21. "पहले ई की तारीख से तीन महीने के भीतर" अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्या विवरण "प्रथम सूचना" नियम 4 (1) के संदर्भ में I में जारी की गई सूचना के लिए संदर्भित है? इसका जवाब स्पष्ट रूप से [2020] 11 एस. सी. आर. में होगा।

नकारात्मक। मैं नोटिस करता हूं कि संबंधित व्यक्तियों को जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया जाना चाहिए। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, उनकी

बयान दर्ज किए जाएंगे और/या कुछ जानकारी की आवश्यकता हो सकती है, जिसके बाद फॉर्म II में आदेश जारी किया जाना है।

अस्थायी रूप से बाजार मूल्य का निर्धारण करना। संबंधित व्यक्ति लिखित रूप में आपत्तियां उठाने के हकदार हैं और उन्हें सुनवाई का अधिकार दिया जाना चाहिए। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, नियम 7 के संदर्भ में आदेश पारित किया जा सकता है। ये सभी चरण तीन महीने में पूरे नहीं हो सकते हैं।

इसके अलावा, नियम 7 में संदर्भ "पहली सूचना" के लिए है न कि "फॉर्म I में सूचना" के लिए। संदर्भ और पूर्ववर्ती विभिन्न चरणों पर विचार करते हुए

नियम 7 के तहत आदेश के पारित होने के चरण में, संदर्भ पहले "फॉर्म II में नोटिस" के लिए होना चाहिए। प्रपत्र II में संभवतः एक से अधिक सूचनाएँ हो सकती हैं, विशेष रूप से जब सुनवाई एक स्थगित तिथि पर होनी है और इसलिए प्रपत्र II में पहली सूचना से अवधि की गणना की जानी चाहिए। नियम 7 में "पहली सूचना" के तुरंत बाद की अभिव्यक्ति "संपत्तियों के बाजार मूल्य का निर्धारण" है। यह भी इंगित करता है कि सूचना का संदर्भ तुरंत पूर्ववर्ती नियम 6 में प्रपत्र II में एक है।

22. अब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या नियम 7 में तीन महीने की अवधि का निर्धारण अनिवार्य है या निर्देशिका। 23. इस न्यायालय के कुछ निर्णय इस सवाल से संबंधित हैं कि किन परिस्थितियों और संदर्भों में एक वैधानिक प्रावधान हो सकता है।

अनिवार्य मानी जाने वाली या निर्देशिका को पहले नोट किया जा सकता है। क) मैसूर राज्य और अन्य में v. वी. के. कंगन और अन्य 21 इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहाः -

" 10. इस प्रश्न का निर्धारण करने में कि क्या कोई प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका, किसी को विषय-वस्तु पर ध्यान देना चाहिए और उपेक्षित प्रावधान के महत्व और उस प्रावधान के संबंध को सुरक्षित करने के उद्देश्य वाले सामान्य उद्देश्य के साथ विचार करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी कानून इस मायने में अनिवार्य हैं कि वे उन लोगों का पालन करने का कर्तव्य लागू करते हैं जो इसके दायरे में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे प्रत्येक प्रस्थान एक घातक दोष के साथ कार्यवाही को कलंकित करेगा। इस प्रश्न का निर्धारण कि क्या कोई प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका, अंतिम विश्लेषण में, कानून निर्माता के इरादे पर निर्भर करेगा। और ऐसा होना भी चाहिए।

न केवल प्रावधान के वाक्यांश से एकत्र किया गया बल्कि

21 (1976) 2 एस. सी. सी. 895 वह महानिरीक्षक पंजीकरण, तमिल यू और ओ. आर. एस. वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

इसकी प्रकृति, इसकी रचना और इसके परिणामों पर विचार करके

खाद्य निवारण के नियम 7 (3) में अवधि का निर्धारण मिलावट नियम, 1955 जिसके भीतर

नमूने का विश्लेषण दिया जाना चाहिए, अनिवार्य होगा या

निर्देशिका. इस न्यायालय ने निम्नलिखित अंश का हवाला दिया

इस न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णयः

" 10. दत्तात्रेय मोरेश्वर बनाम। बॉम्बे राज्य 2 3 यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" [जी] ईमानदारी से कहें तो सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्माण करने वाले क़ानून के प्रावधान निर्देशिका हैं और जो निजी अधिकार प्रदान करते हैं वे अनिवार्य हैं। जब किसी कानून के प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित होते हैं और मामला ऐसा होता है कि

इस कर्तव्य की उपेक्षा में किए गए कृत्यों को अमान्य ठहराने से व्यक्तियों के लिए गंभीर सामान्य असुविधा या अन्याय होगा।

जिनका उन लोगों पर कोई नियंत्रण नहीं है जिन्हें कर्तव्य सौंपा गया है और साथ ही वे विधायिका के मुख्य उद्देश्य को बढ़ावा नहीं देंगे, न्यायालयों की प्रथा रही है कि ऐसे प्रावधानों को केवल निर्देशिका माना जाए, उनकी उपेक्षा से किए गए कार्यों की वैधता प्रभावित नहीं होती है।

ख. 1) इसके बाद, इस न्यायालय ने नियम 7 (3) में प्रावधान के प्रभाव पर विचार कियाः

“ 11. नियम 7 (3) में इसमें कोई संदेह नहीं है कि "होगा" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है, लेकिन यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नियम इससे पहले के चरणों से संबंधित है।

अभियोजन शुरू करना और यह भी स्पष्ट है कि की तारीख तक

लोक विश्लेषक की रिपोर्ट की प्राप्ति अभी तक अदालत में मामला दर्ज नहीं किया गया है और यह केवल लोक विश्लेषक की इस रिपोर्ट के आधार पर है कि संबंधित प्राधिकरण को यह निर्णय लेना है कि अभियोजन शुरू करना है या नहीं। ऐसी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है जिसके भीतर अभियोजन शुरू किया जाना है और जब ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं है तो 45 दिनों की अवधि को अनिवार्य मानने का कोई वैध कारण नहीं है। बेशक इसका मतलब यह नहीं है कि सार्वजनिक विश्लेषक इसे नजरअंदाज कर सकते हैं।

4) 1 एस. सी. सी. 754

नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा। उसे सभी मामलों में समय-सीमा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर किसी मामले में कुछ देरी होती है, तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि रिपोर्ट ही अमान्य है और उस आधार पर यह माना जा सकता है कि अभियोजन भी शुरू नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि किसी मामले में, यदि अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं दे सकता है, लेकिन केवल

क्योंकि समय-सीमा निर्धारित की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि थोड़ी सी देरी भी रिपोर्ट को अमान्य या कानून में अस्वीकार्य बना देगी। इस संदर्भ में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 7 (3) केवल एक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए प्रक्रियात्मक प्रावधान

जांच जिसके आधार पर अभियोजन शुरू किया जाना है। निस्संदेह, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (2)

अभियुक्त को मूल्यवान अधिकार प्रदान करता है जिसके तहत प्रावधान है अभियुक्त एक अवधि के भीतर अदालत में आवेदन कर सकता है।

लोक सूचना की प्रति प्राप्त होने के 10 दिन बाद

देरी के कारण धारा के तहत प्रदत्त अधिकार से इनकार किया गया है 13 (2) और यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और नियम 7 के उप-नियम (3) में दी गई समय सीमा का उल्लंघन स्वयं अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है।

पी. टी. राजन बनाम। टी. पी. एम. साहिर और अन्य सिद्धांत

इसका सारांश इस प्रकार हैः -

" 48. इसके अलावा, भले ही कानून के लिए एक समय निर्दिष्ट करता है

निर्वाचक नामावली का प्रकाशन अपने आप में अनिवार्य नहीं माना जा सकता था। इस तरह का प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका होगा। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां एक वैधानिक पदाधिकारी को एक वैधानिक कार्य करने के लिए कहा जाता है

3 एस. सी. सी. 498 द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

इसके लिए निर्धारित समय के भीतर शुल्क निर्देशिका होगी और अनिवार्य नहीं होगी। (शिवेश्वर प्रसाद सिन्हा को देखें वी. मोंघिर 25 की जिला मजिस्ट्रेट, नोमिता चौधरी बनाम। W.B.26 राज्य और गरबारी यूनियन कॉप। कृषि

क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बनाम। स्वपन कुमार जन 1 7.)

विशेष डी. कॉम. (राजस्व) 30 और राय विमल कृष्ण बनाम। बिहार राज्य 3 1.) "

24. हालाँकि, मैकिनन मैकेंजी में इस अदालत के फैसले पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील द्वारा रिलायंस को रखा गया है। और कंपनी लिमिटेड बनाम। माचिनन कर्मचारी संघ 3 2. इनमें से एक

उस मामले में विचार के लिए जो मुद्दे उठे थे, वे यह थे कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 एफएफए के प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है।

बंद करने की सूचना जारी करना अनिवार्य या निर्देशिका है और कर्मचारी संघ की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार नोट किया गया थाः

" 37. प्रत्यर्थी संघ के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह द्वारा आग्रह किया गया तर्क यह है कि यदि आई. डी. अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. ए. के तहत प्रावधान की व्याख्या, जैसा कि अपीलकर्ता कंपनी की ओर से विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है, निर्देशिका के रूप में स्वीकार की जाती है और अनिवार्य नहीं है क्योंकि यह आई. डी. अधिनियम की धारा 30 ए के तहत अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करेगा, तो आई. डी. अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. ए. में वर्ष 1972 में किए गए संशोधन का उद्देश्य और इरादा विफल हो जाएगा और आई. डी. अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों को रद्द कर देगा और यह संसद के विधायी विवेक के विपरीत होगा। वैधानिक संरक्षण

25 ए. आई. आर. 1966 पैट 144: आई. एल. आर. 45 पैट 436 (एफ. बी.) 26 (1992) 2 कैल एल. जे. 21

27 (1997) 1 सीएचएन 189

28 ए. आई. आर 1965 एस. सी. 895: (1965) 1 एससीआर 970 29 (1996) 3 एससीसी 364: 1996 एससीसी (एल एंड एस) 717 30 (1997) 9 एससीसी 128 31 (2003) 6 एससीसी 401 32 (2015) 4 एससीसी 544 [2020] 11 एस. सी. आर.

आई. डी. अधिनियम की धारा 25 एफ. एफ. ए. के प्रावधान के तहत कामगारों को दिया गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे कामगारों और उनके परिवार की आजीविका के रूप में उपक्रम के किसी विभाग/इकाई के बंद होने के कारण नौकरी से हटाए गए कामगारों की रक्षा करना है।

उनके कारण सदस्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे

उनकी सेवा से बर्खास्तगी। कंपनी में संबंधित श्रमिकों को इस तरह की कायरतापूर्ण स्थिति का सामना करने से रोकने के लिए /

संस्थान, नियोक्ता पर वैधानिक दायित्व डाला जाता है कि वह विभाग/इकाई को इस तरह से बंद करने से पहले राज्य सरकार को कम से कम 60 दिनों का नोटिस दे। राज्य सरकार कारणों को सूचित करती है कि उसका इरादा क्यों है

अपने विभाग/इकाई को बंद करने के लिए।

इस न्यायालय ने उपर्युक्त निवेदन को स्वीकार कर लिया। यह यू. पी. राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भर था। बाबू राम उपाध्याय 3 3, मैसूर बनाम। वी. के. कंगन 2 1 और श्रीफ उद्दीन बनाम। अब्दुल गनी 34 और अन्य निर्णय और संबंधित प्रावधानों को लैटरी माना। यह देखा गयाः

" 44. आई. डी. अधिनियम की धारा 25-एफ. एफ. ए. में निहित वैधानिक प्रावधानों में कहा गया है कि कंपनी को उपयुक्त सरकार को इच्छित समापन नोटिस जारी करना चाहिए था, उस तारीख से कम से कम 60 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए जिस दिन वह कंपनी के संबंधित विभाग/इकाई को बंद करने का इरादा रखती है। जैसा कि औद्योगिक न्यायालय द्वारा अभियाचनों और अभिलिखित निष्कर्षों से देखा जा सकता है, तथ्य का एक स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया गया है कि अपीलार्थी कंपनी द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कोई अनिवार्य सूचना नहीं दी गई है। राज्य सरकार को इस तरह की सूचना देने का उद्देश्य यह देखना है कि वह यह पता लगा सके कि कंपनी के लिए कंपनी के किसी विभाग/इकाई को बंद करना संभव है या नहीं और क्या कर्मचारी हैं।

परिवार के सदस्य। इसके अलावा, आई. डी. अधिनियम का उक्त प्रावधान संबंधित श्रमिकों को दिया गया वैधानिक संरक्षण है जो अपीलार्थी कंपनी को कर्मचारियों की छंटनी करने से रोकता है

मनमाने ढंग से और अनुचित तरीके से।

1961 सी 751

30) 1 एस. सी. सी. 403 द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

45. कारणों के विवरण का संचयी पठन, संबंधित श्रमिकों को दिया गया छंटनी नोटिस, अपीलकर्ता कंपनी की दलीलें और सबूत के अभाव में

श्रमिकों की छंटनी की कार्रवाई को सही ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर

अपीलार्थी कंपनी के विभाग/इकाई के कथित रूप से बंद होने पर संबंधित को प्रामाणिक दिखाया गया है। हालांकि, मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष को इस अपील में अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा कानूनी रूप से गलत नहीं माना जा सकता है।

ऐसा निष्कर्ष निकालते हुए, इस न्यायालय ने 1972 के संशोधन अधिनियम 32 के उद्देश्यों और कारणों पर भी भरोसा किया, जिसमें धारा 25 एफएफए को शामिल किया गया था।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, और यह तथ्य कि कानून में आवश्यक सूचना दिए बिना किसी भी उपक्रम को बंद करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया था।

25. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 47-ए अपने आप में कोई प्रावधान नहीं करती है।

समयरेखा। यदि नियम 6 के संदर्भ में या प्रपत्र II में सूचना से पहली सूचना से तीन महीने की अवधि की शर्त या निर्धारण को अनिवार्य माना जाता है तो इससे विसंगति की स्थिति पैदा हो जाएगी। तथ्य यह है कि फॉर्म II नोटिस जारी किया गया था, इसका मतलब यह होगा कि रिकॉर्ड और सामग्री के प्रथम दृष्टया देखने पर, लिखत में बताया गया मूल्य सही मूल्य नहीं था; जिसका मतलब यह होगा कि प्रथम दृष्टया सरकारी खजाने को सही बकाया राशि से वंचित किया जा रहा था। यदि किसी भी कारण से कार्यवाही तीन महीने के भीतर पूरी नहीं की जाती है और इसलिए, इसे दूषित माना जाना चाहिए, तो जनहित को नुकसान होगा, और जो व्यक्ति वास्तविक मूल्य को दबाने के लिए प्रथम दृष्टया जिम्मेदार थे, उन्हें लाभ होगा। तीन महीने की अवधि को शामिल करते हुए नियम 7 का संशोधन अनिवार्य रूप से लोक अधिकारियों को प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए था, लेकिन इसका उद्देश्य उन लोगों के पक्ष में अधिकार पैदा करना नहीं था जिन्होंने स्वयं को सार्वजनिक हित के प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार किया था।

मैसूर राज्य और अन्य में निर्धारित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए v. वी. के. कंगन और अन्य 2 1, यदि प्रावधान की विषय वस्तु के साथ-साथ प्रावधान के सामान्य उद्देश्य के लिए तीन महीने की अवधि के अंतर-संबंध पर विचार किया जाता है, तो अवधि के निर्धारण को निर्देशिका माना जाना चाहिए। अन्यथा, सार्वजनिक हित को कम करने और सार्वजनिक राजस्व को सुरक्षित करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। विशेष रूप से, संबंधित प्रावधान ने गैर के लिए कोई परिणाम नहीं बताया है

तीन महीने की उक्त अवधि का पालन।

26. इसलिए हम 7 में तीन महीने की समयरेखा को विशुद्ध रूप से निर्देशिका मानते हैं। परिसर में, न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधान को अनिवार्य ठहराने वाले निष्कर्ष को दरकिनार कर दिया जाता है, और

उस आधार पर उत्तरदाताओं को शुल्क जमा हो सकता है।

27. अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर रुख करते हैं, जो संयोग से केवल अपील के रूप में उत्पन्न होता है। एक 2018 के एसएलपी (सी) Nos.31633-31637 से उत्पन्न होता है। चरण है, अपीलीय के आदेश से प्रासंगिक भाग

ऋति को यहाँ नीचे निकाला जा सकता हैः

" जिला पंजीयक ने Rs.480/- प्रति वर्ग मीटर के मूल्य की सिफारिश की है। फीट। , 2005 में पंजीकृत दस्तावेजों के लिए और Rs.544/- प्रति वर्ग कि. मी. फीट। , 2007 में पंजीकृत दस्तावेजों के लिए। उन्होंने कहा है कि ये जमीनें डब्ल्यूआईएमसीओ नगर रेलवे स्टेशन के सामने डब्ल्यूआईएमसीओ नगर में स्थित हैं और तिरुवोत्रियूर हाई रोड और एन्नोर के बीच स्थित हैं।

एक्सप्रेस रोड। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि स्थानीय जांच के अनुसार, पंजीकरण के समय भूमि का मूल्य रु। 11.5 2005 के दस्तावेजों के लिए प्रति आधार 12 लाख और 2007 में पंजीकृत दस्तावेजों के लिए प्रति आधार 14 लाख तक।

बिक्री सांख्यिकी के अवलोकन से दस्तावेजों के पंजीकरण का पता चलता है

Rs.544/- प्रति वर्ग का मान। फीट। हालाँकि, इन सभी मामलों में शामिल विस्तार 1 ग्राउंड से लेकर 2 ग्राउंड तक है, सिवाय कुछ मामलों में 1200 वर्ग किलोमीटर में शामिल किया गया था। फीट। ये सभी स्वीकृत हैं। लेआउट। एक डॉक्ट। No.10084/2007 को S.No.168/7,9,9 में Rs.625/- प्रति वर्ग मीटर के मूल्य को अपनाते हुए पंजीकृत किया गया है। फीट। आगे डॉक्ट देखें। No.10675/07 4.957 एकड़ की एक सीमा को गोद लेते हुए पंजीकृत किया गया था

Rs.485/- प्रति वर्ग मीटर का मान। फीट। और इसे 47 ए के तहत संदर्भित किया गया था जिसके लिए जिला राजस्व प्रस्तावक (डाक टिकट) ने Rs.920/- प्रति वर्ग कि. मी. का मूल्य निर्धारित किया था। फीट। यह संपत्ति विषय संपत्ति से लगी हुई है क्योंकि यह विषय दस्तावेज़ के साथ सीमाओं में से एक को साझा करती है।

इसी तरह के गुण, दूसरे डॉक्ट के लिए। No.10676/07, जिसमें 16290/- वर्ग कि. मी. की सीमा शामिल है। फीट। अपनाया गया दस्तावेज़ मूल्य Rs.841/प्रति वर्ग मीटर था। फीट। जिसके लिए जिला राजस्व अधिकारी (डाक टिकट) ने एक

Rs.920/- प्रति वर्ग मीटर का मान। फीट। दोनों मूल्यों को पंजीकरणकर्ताओं द्वारा स्वीकार किया गया और उन्होंने घाटे वाले स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया। उन संपत्तियों का दिशानिर्देश मूल्य Rs.1200/- प्रति वर्ग मीटर था। फीट। प्रभाव के साथ

01.08.2000 से।

उन्होंने पंजीकरण के महानिरीक्षक, तमिल यू और ओआरएस का निरीक्षण किया। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

प्रभाव के साथ विषय गुणों का वर्तमान दिशानिर्देश मूल्य

01.04.2012 से Rs.3500/- प्रति वर्ग मीटर है। फीट।

डॉक में बिक्री विलेख। नं. 10675/2007 और 10676/2007 में बड़ी मात्रा में औद्योगिक भूमि शामिल है और इसलिए, विषय दस्तावेजों में शामिल भूमि के समान हैं। इसलिए, 2005 में पंजीकृत 5 दस्तावेजों के लिए, Rs.544/प्रति वर्ग कि. मी. का मूल्य अपनाने का प्रस्ताव है। चूंकि, यह मानने का कोई कारण नहीं लगता है कि Rs.920/- प्रति वर्ग मीटर के मूल्य को अपनाने वाले पंजीकरण के आलोक में दिशानिर्देश मूल्य असामान्य हैं। फीट। 2007 में। इसी तरह, 2007 में पंजीकृत तीन दस्तावेजों के लिए, Rs.920/- प्रति वर्ग कि. मी. का मूल्य तय करने का प्रस्ताव है। फीट। पंजीकरणकर्ताओं द्वारा निर्धारित और स्वीकार किए गए मूल्य के लिए धन्यवाद डॉक्ट। नं. 10675/2007 और 10676/2007।

इसलिए सभी 8 मामलों के लिए याचिकाकर्ता को तदनुसार कारण सूचना जारी करें। अतः 9 के संदर्भ में अपीलार्थी और उनके अधिवक्ता के लिए व्यक्तिगत जांच की निरंतरता में एक नया कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया था।

Rs.544/- प्रति वर्ग मीटर। फीट। 2005 के दौरान पंजीकृत 5 दस्तावेज़ संपत्तियों के लिए और Rs.920/- प्रति वर्ग मीटर पर। 2007 में पंजीकृत 3 दस्तावेजों के संबंध में और 10 वीं के संदर्भ में इसकी निरंतरता में 10 दिनों के भीतर यदि कोई नई आपत्तियां हैं तो प्रस्तुत करने के लिए अधिवक्ता ने अनुरोध किया कि किस आधार पर अनंतिम मूल्य निर्धारित किया गया था और दस्तावेजों की बिक्री के आंकड़े प्रस्तुत करें और दस्तावेज़ संख्या की प्रतियां भेजें। 10675 , 10676/2007 और क्या धारा के तहत कारण बताएँ नोटिस देने का कोई तरीका और साधन है

47 भारतीय डाक टिकट अधिनियम का ए 5 और इसका विवरण देना 11 के संदर्भ में इसकी निरंतरता में दस्तावेजी आधार ने याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किए गए विवरण, जिला राजस्व अधिकारी के स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट और दस्तावेज़ संख्या की प्रतियों का हवाला दिया। 10675 , 10676/2007 जहाँ भेजा गया था। "

इस प्रकार, कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य को बढ़ाने का प्रस्ताव करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण ने कहा था कि

ओपेलेंट-पर्याप्त सूचना के लिए पंजीकृत और प्रस्तावित वृद्धि के संबंध में प्रतिक्रिया का आह्वान किया था। इसके बाद ही वास्तविक बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए अभ्यास किया गया।14 / - प्रति वर्ग मीटर। फीट। और Rs.920/- प्रति वर्ग मीटर। में पंजीकृत दस्तावेजों के लिए

क्रमशः 2005 और 2007 में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. वहाँ से उत्पन्न चुनौती में, उच्च न्यायालय ने 2014 के सी. एम. ए. Nos.2449 से 2453 में अपने दिनांकित 19.03.2018 के माध्यम से कहाः

" 13. यह देखा गया है कि प्रथम प्रत्यर्थी, अपील का निर्णय करते समय,

उत्तरदाता और एक उच्च मूल्य तय किया। भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (5) के अनुसार, पहला प्रतिवादी केवल दूसरे प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश की शुद्धता की जांच करेगा, क्योंकि संबंधित प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपील की गई है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा की गई अपील में, पंजीकरण महानिरीक्षक के पास बाजार मूल्य बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। 14. इस न्यायालय ने राजेंद्रन बनाम मामले में अपने फैसले में कहा। पंजीकरण महानिरीक्षक और अन्य 35 ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रस्तुतकर्ता द्वारा पसंद की गई अपील पर निर्णय लेते समय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 47-ए (6) के तहत स्वतः संज्ञान संशोधन के विपरीत, अपीलीय प्राधिकरण को संपत्ति का बाजार मूल्य बढ़ाने का अधिकार नहीं है और वह केवल आदेश की शुद्धता पर निर्णय ले सकता है।

जिला कलेक्टर या जिला राजस्व अधिकारी द्वारा पारित।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम का ए (5)। ऐसी परिस्थितियों में, मुझे पहले द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार करने में कोई संकोच नहीं है। उत्तरदाता "।

29. राजेन्द्रन बनाम। पंजीकरण महानिरीक्षक,

आई. एन. यू. और अन्य (ऊपर) उच्च न्यायालय ने कहा थाः -

" 33. इन सभी अपीलों में विवादित आदेशों के अवलोकन से यह संकेत नहीं मिलता है कि मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण सह पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई, इस व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचे हैं कि डाक टिकट कलेक्टर द्वारा धारा 47 की उप-धारा 2 के तहत पारित आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है और उपरोक्त अपीलीय प्राधिकरण ने इनमें से प्रत्येक अपील में संपत्ति के बाजार मूल्य को बढ़ाने से पहले कोई जांच नहीं की है या ऐसी जांच नहीं कराई है। अधिनियम की धारा 47-ए (6) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि स्वतः संज्ञान लेते हुए शक्ति का प्रयोग करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य यह है कि -

धारा 47 की उप-धारा (2) और (3) के तहत पारित आदेश

2 (3) सी. टी. सी. 589 वह पंजीकरण के महानिरीक्षक, तमिल यू और ओ. आर. एस. वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

अधिनियम की पहले जांच की जानी चाहिए और यह पाया जाना चाहिए कि यह राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है। उस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष होना चाहिए। इसलिए, जब कानून में कोई प्रावधान, एक कर्तव्य का आदेश देता है

प्राधिकरण पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, एक व्यक्तिपरक गठन करें

राजस्व की रक्षा के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ, यदि धारा 47-ए (2) और/या 47-ए (3) के तहत पारित आदेश राजस्व के लिए प्रतिकूल हैं, तो मुख्य राजस्व नियंत्रक का आदेश प्राधिकरण-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई को तथ्यों और परिस्थितियों पर उक्त उद्देश्य के लिए विज्ञापन देना चाहिए।

प्रत्येक मामले में और आगे बढ़ने से पहले एक संतुष्टि पर पहुँचें,

एक अस्थायी निष्कर्ष पर कि कलेक्टर (डाक टिकट) द्वारा पारित एक आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा 6 के तहत कोई भी आदेश सुनवाई के उचित अवसर के बिना प्रतिकूल रूप से पारित नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले, उपरोक्त मामलों में, अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा 6 के तहत ऐसी कोई कवायद नहीं की गई है, जैसा कि विचार किया गया है। पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई। इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि इन सभी अपीलों में विवादित आदेश अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (6) के दायरे में नहीं आते हैं।

जैसा कि प्रदान किया गया है, उसकी स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग की अपनी सीमाएँ हैं। धारा 47-क की उप-धारा (6) और (7) के लिए और धारा में प्रयुक्त भाषा से। यह माना जा सकता है कि केवल

पर्यवेक्षी, क्योंकि उसके पास स्वतः संज्ञान लेते हुए उप-धारा 2 या उप-धारा 3 के तहत पारित किसी भी आदेश की मांग करने और उसकी जांच करने का पूरा अधिकार है, यदि ऐसा आदेश राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है। अधिनियम की धारा 47 (6) के तहत आदेश पारित करने से पहले, जांच करने या ऐसी कोई जांच कराने के बाद, सामग्री

एकत्र की गई रिपोर्ट, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, ताकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, अन्यथा, पक्षकार अपना स्पष्टीकरण देने के अपने अधिकार, यदि कोई हो, से वंचित हो जाएंगे।

36. अपीलों पर संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि

धारा 47 (5) के तहत भूमि मालिकों द्वारा वरीयता [2020] 11 एस. सी. आर. नहीं है।

धारा 47 की उप-धारा 6 का सहारा लिए बिना अधिनियम की योजना के तहत विचार किया गया, जिसमें क़ानून ने विचार किया है।

जाँच आ उचित अवसर आयोजित करबाक प्रक्रिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानून मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण-सह-पंजीकरण महानिरीक्षक, चेन्नई को अधिनियम की धारा 47 (6) के तहत धारा के तहत आदेश पारित होने की तारीख से पांच साल के भीतर स्वतः संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार देता है।

47 (2) और (3) अधिनियम, जैसा भी मामला हो, लेकिन क़ानून आदेश देता है कि अभिलेखों पर विचार, उद्देश्य के संदर्भ में, विशेष रूप से धारा में शामिल किया गया है और उसे आना चाहिए।

एक व्यक्तिपरक संतुष्टि पर, कि क्या, आदेश के तहत पारित किया गया

अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (2) और (3) राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल है। उसे आने के कारणों को दर्ज करना होगा।

संतुष्टि के लिए "।

30. अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (6)

मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकरण, स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए, उप के तहत पारित आदेश की शुद्धता की मांग और जांच करने के लिए

धारा 47-ए की धारा (2) या उप-धारा (3) और यदि आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, तो मुख्य नियंत्रक प्राधिकरण

ऐसी जांच करना या ऐसी जांच कराना और या तो ऐसे आदेश को संशोधित करना, संशोधित करना या अलग करना और कोई भी आदेश पारित करना जो उसे उचित लगे। उक्त शक्ति के प्रयोग पर कुछ सीमाएँ हैं, क्योंकि नहीं

उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत पारित आदेश के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यदि उस आदेश के खिलाफ अपील करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, या यदि उसके बाद पांच साल से अधिक समय समाप्त हो गया है।

आदेश पारित करना। इरादा स्पष्ट है कि यदि उस आदेश को चुनौती देने वाली नियमित अपील करने के लिए पर्याप्त समय है, तो अपील दायर करने के उपाय का सहारा लिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि पांच साल की अवधि समाप्त हो गई है, तो स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। एक और सीमा है - उप-धारा (8) द्वारा विहित, जिसके संदर्भ में स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जब तक कि उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर न मिला हो। इन सीमाओं के अलावा, वैधानिक प्रावधान कोई अन्य प्रतिबंध नहीं

लगाते हैं, और मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान की जाती है कि धारा 47-ए की उप-धारा (2) या (3) के तहत पारित कोई भी आदेश राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है।

धारा 47-ए की उप-धारा (8) में सीमा को स्पष्ट कर दिया गया था।

राजेंद्रन द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल में उच्च न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 33 से 36 में

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

वी. पंजीकरण महानिरीक्षक, तमिलनाडु और अन्य (ऊपर)। वर्तमान मामले में, संबंधित व्यक्तियों को पर्याप्त नोटिस जारी किया गया था और इसलिए, उस मामले में कोई कमजोरी नहीं थी। यह किसी का नहीं है

मामला यह है कि उस तारीख को जब धारा 47-ए की उप-धारा (6) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए कार्यवाही शुरू की गई थी, अपील को प्राथमिकता देने की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, या कि उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत आदेश पारित होने के बाद पांच साल से अधिक समय समाप्त हो गया था। इन परिस्थितियों में, शक्ति के प्रयोग पर क़ानून द्वारा लगाई गई सीमाओं में से कोई भी मौजूद नहीं थी।

31. तत्काल मामले में उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि एक के खिलाफ पंजीयक द्वारा की गई अपील पर विचार करते समय

धारा 47-ए (2) के तहत पारित आदेश में स्वतः संज्ञान लेते हुए शक्ति का कोई प्रयोग शुरू नहीं किया जा सकता है। यह उस दृष्टिकोण की शुद्धता है जो अब मुद्दे में है। 32. बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम, 1941 की धारा 20 (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति की प्रकृति पर विचार करते हुए जहां

आयुक्त "आवेदन या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर" किसी भी मूल्यांकन या आदेश को संशोधित कर सकते हैं, यह न्यायालय मैसर्स राम कनई जामिनी रंजन पाल प्राइवेट लिमिटेड में। लिमिटेड वी. सदस्य, राजस्व बोर्ड, पश्चिम बंगाल 3 6 उद्धृत मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय से पारित होने के बाद अनुमोदन के साथः

13. ईस्ट एशियाटिक कंपनी (इंडिया) लिमिटेड बनाम में न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां। मद्रास राज्य 3 7 भी प्रासंगिक है।

" इस अधिनियम के दो उद्देश्य हैं। खोए हुए राजस्व के पूरक के लिए और आम जनता की भलाई को बढ़ावा देने के लिए माल की बिक्री पर एक सामान्य कर का अधिरोपण; और दूसरा, यह देखना कि यह अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाता है, न कि मनमाने तरीके से। इसलिए, एक पुनरीक्षण प्राधिकरण बनाया जाना चाहिए। पुनरीक्षण क्या है? पुनरीक्षण अधिकारिता का सार उच्चतर न्यायाधिकरण या ऐसी अधिकारिता के साथ सौंपे गए अधिकारी के कर्तव्य में निहित है कि वह यह देखे कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण या अधिकारी खुद को कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रखते हैं और वे वही करते हैं जो उनके कर्तव्य से उन्हें करने की आवश्यकता होती है और वे इसे कानूनी तरीके से करते हैं। यह क्षेत्राधिकार उपयुक्त मामलों में अधीक्षण और सुधार का एक होने के कारण, यह है

36 (1976) 3 एस. सी. सी. 369

37 (1956) 7 एसटीसी 299 (मैड)

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, आयकर अधिनियम आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों और विनियमों में पाए जाने वाले संशोधन से संबंधित कई वैधानिक प्रावधानों से स्पष्ट है। स्वतः संज्ञान संशोधन का अधिकार क्षेत्र शर्तों और योग्यताओं द्वारा सीमित या सीमित नहीं है।

इस तरह के विस्तार को स्वतः संज्ञान लेते हुए संशोधित करने का उद्देश्य सरकारी खजाने के हितों की रक्षा करना प्रतीत होता है

निर्धारिती के हितों के अनुसार। राज्य कभी भी अपीलकर्ता नहीं हो सकता है और यदि राज्य के खिलाफ उसके पूर्वाग्रह के लिए कोई आदेश है, और स्वाभाविक रूप से निर्धारिती जिसके पक्ष में आदेश पारित किया जाता है, वह अपील करना पसंद नहीं करता है, तो राज्य को तब तक नुकसान होगा जब तक कि इस तरह के पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के प्रयोग से उसके हितों की रक्षा नहीं की जाती है। जैसा कि ऊपर उल्लिखित अधिकारियों को दिया गया है।

33. इस प्रकार पुनरीक्षण अधिकारिता का सार यह सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ न्यायाधिकरण या अधिकारी के कर्तव्य में स्वीकार किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायाधिकरण या अधिकारी कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर रहते हैं और कानून के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। "स्वतः संज्ञान", या "अपनी गति से" प्रयोग की जाने वाली ऐसी शक्ति की प्रकृति पर भी निम्नलिखित निर्णयों में विचार किया गया हैः

ए) उड़ीसा संपदा उन्मूलन अधिनियम, 1951 की धारा 38-बी पर विचार करते समय, जिसमें पाए जाने वाले प्रतिबंधों के समान कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था अधिनियम की धारा 47-ए की उप-धारा (7), उड़ीसा राज्य में यह न्यायालय और अन्य v. वृंदावन शर्मा और अन्य 3-8 ने देखाः

" 12. ... . कब और किन परिस्थितियों में स्वतः संज्ञान जांच शुरू की जाएगी और आदेश पारित किए जाएंगे, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर राजस्व बोर्ड के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। "

इस न्यायालय के कुछ फैसलों पर विचार करने के बाद, यह था

यह देखा गयाः

" 16. अतः यह निश्चित कानून है कि जब पुनरीक्षण की शक्ति

एक उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए प्रदान किया गया था, इसका उपयोग उचित तरीके से किया जाना है जो एक उचित समय के भीतर इसके अभ्यास की अवधारणा को निहित करता है। सीमा की अनुपस्थिति अधिनियम के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए सावधानी या चौकसी के साथ शक्ति का प्रयोग करने का आश्वासन है, या न्याय की विफलता या अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन या अधिकार का दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए।

38 (1995) सप.

3 एस. सी. सी. 249 एच. ई. महानिरीक्षक पंजीकरण, तमिल यू और ओ. आर. एस. वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

कम अधिकारी या धोखाधड़ी या दमन। समय की अवधि किसी दिए गए मामले में तथ्यात्मक परिदृश्य पर निर्भर करती है। एक मामला लीजिए कि पट्टा अधिकारियों के साथ मिलीभगत से धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और यह लंबे समय के बाद अधिकारियों के संज्ञान में आता है। क्या आदेश से बचने के लिए सीमा का अनुरोध करना धोखाधड़ी के लिए पक्ष के मुंह में है? क्या समय के साथ धोखाधड़ी को उजागर करने और इसे स्थापित करने के लिए पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने से बचने का बहाना है

सही? इसका जवाब होगा "नहीं।

ख) विजयबाई और अन्य मामलों में वी. श्रीराम तुकाराम और अन्य 39 न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में सावधानी व्यक्त कीः -

" 9. तहसीलदार अपनी स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करते हुए

धारा 49-बी को मनमाने ढंग से नहीं, बल्कि उसके सामने रखी गई सामग्री के आधार पर शुरू करना होगा। स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रत्येक प्रयोग स्पष्ट रूप से या निहित रूप से एक कानून के तहत आई त्रुटि को सुधारने के लिए प्रकट करता है कि क्या नहीं किया जाना चाहिए था या जो किसी वैधानिक प्राधिकरण के ध्यान से बच गया था, या संबंधित विषय द्वारा त्रुटि या जानबूझकर चूक या कमीशन के लिए, निश्चित रूप से, ऐसे किसी भी कानून की सीमा के भीतर सुधार की आवश्यकता होती है। यह अभिलेख पर कुछ प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होना चाहिए, इस तरह के प्राधिकरण की पसंद और नापसंद पर प्रयोग की जाने वाली सर्वशक्तिमान नहीं है। यद्यपि ऐसी शक्ति एक व्यापक शक्ति है लेकिन इसका उपयोग इसके साथ किया जाना चाहिए

इस तरह के क़ानून की सीमाओं के भीतर परिधि निरीक्षण। इसका विस्तार करें

शक्ति, जितना अधिक चौकसी का प्रयोग करना होगा "।

34. श्री बालाजी राइस मिल में, बेल्लारी बनाम. कर्नाटक राज्य

एस. आई. सी. तथ्यों को एक पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया था

इस न्यायालय के न्यायाधीश निम्नानुसार हैंः

" 3. वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त,

प्राधिकरण इस आधार पर कि निर्धारण आदेश गलत था और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था। नोटिसों में, पुनरीक्षण प्राधिकरण ने इस आशय की टिप्पणियां की थीं कि लेखा पुस्तकों को ठीक से बनाए नहीं रखा गया है। जवाब में नोटिसों के लिए, अपीलार्थी ने 4-4-1994 पर जवाब दाखिल किया

99) 1 एस. सी. सी. 693

पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियाँ और अनुरोध किया गया था

अधिनियम की धारा 22-ए के तहत शुरू की गई कार्यवाही को छोड़ने का उक्त प्राधिकारी। 8-4-1994 पर पुनरीक्षण प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 22-ए (1) के तहत एक और नोटिस जारी किया जिसमें वही प्रस्ताव किया गया जो पहले के नोटिसों में किया गया था और आगे प्रस्तावित किया गया था

अधिनियम की धारा 18-ए के तहत जुर्माना लगाना। पुनरीक्षण प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 22-ए के तहत जारी किए गए नोटिसों में किए गए प्रस्तावों की पुष्टि दिनांक 2-6-1994 के आदेश के माध्यम से की और मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्रस्ताव को संशोधित किया।

विचार के लिए सामने आए प्रश्नों में से एक को रैफ 11 में नीचे दिया गया थाः

" 11. इसके द्वारा विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

न्यायालयः

(ए)।

(ग) धारा 12-क के तहत किसी आदेश को संशोधित करने का उद्देश्य रखते हुए, जो न तो स्पष्ट रूप से और न ही निहित रूप से इसके तहत किसी भी कार्यवाही को संदर्भित करता है। धारा 18-ए और इस प्रकार धारा 12 (3) के तहत आदेश पारित करते समय मूल्यांकन प्राधिकरण के विचार के भीतर नहीं था, क्या यह आयुक्त के लिए खुला है, जबकि धारा 12 (3) के तहत आदेश के संबंध में धारा 22-ए के तहत या तो धारा 22-ए के तहत आदेश के एक हिस्से के रूप में या धारा 18-ए के तहत अलग से आदेश पारित करने के लिए खुला है?

(डी)।

99

इस प्रश्न पर निम्नानुसार विचार किया गया थाः

" 14. अधिनियम की धारा 18-ए एक निर्धारिती द्वारा कर के अतिरिक्त संग्रह को प्रतिबंधित करती है। यदि कोई व्यक्ति धारा 18 का उल्लंघन करता है, तो अधिनियम की धारा 18-ए के तहत जुर्माना लगाया जाता है। सवाल यह है कि मूल्यांकन के समय, यदि कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता है आकलन प्राधिकरण, क्या पुनरीक्षण प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 22-ए के तहत अपनी स्वतः संज्ञान शक्तियों का उपयोग करके पहली बार इस आधार पर जुर्माना लगा सकता है कि मूल्यांकन का आदेश है

राजस्व के हितों के लिए हानिकारक?

द इंस्पैक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, तमिल

नाडू और ओआरएस। वी. के. बास्करन [उदय उमेश ललित, जे.]

17. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि निचले प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों पर पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग के बीच अंतर है

और मूल्यांकन कार्यवाही में पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग

स्वयं। किसी आदेश का संशोधन उस आदेश तक सीमित हो सकता है जिसमें आदेश शामिल है या जिस पर कार्रवाई की गई है। लेकिन जब मूल्यांकन की कार्यवाही स्वयं पुनरीक्षण प्राधिकरण के समक्ष होती है तो यह उससे आगे भी जा सकती है।

निर्धारण प्राधिकारी का आदेश और ऐसे आदेश पारित करना जिन्हें निर्धारण प्राधिकारी पारित कर सकता था या करना चाहिए था।

22. अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि पुनरीक्षण प्राधिकरण या निर्धारण प्राधिकरण से उच्च अपीलीय प्राधिकरण पहली बार जुर्माना लगाने के लिए सक्षम नहीं है, जब निर्धारण प्राधिकरण द्वारा कोई जुर्माना नहीं लगाया गया है, पूरी तरह से असमर्थनीय है, बिना वैधानिक आधार के और किसी भी दृष्टिकोण से अनुचित है। उक्त याचिका खारिज की जा सकती है। धारा 22-ए के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए धारा 18-ए के तहत एक आदेश की आवश्यकता एक बार फिर गलत है। जुर्माने की गैर-वसूली

स्वयं एक अवैधता है जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के कारण होती है और इसलिए,

राजस्व के हित "।

उसके अधीनस्थ प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा। जो राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल हो सकता है। जैसा कि ऊपर उद्धृत निर्णयों में उल्लिखित कुछ काल्पनिक उदाहरणों में संकेत दिया गया है, त्रुटि हो सकती है अनजाने में घुस गया, या कोई वास्तविक गलती हो सकती है, या कुछ मामलों में इसके हितों को प्रभावित करने का जानबूझकर प्रयास किया जा सकता है।

राजस्व। यदि रिपोर्टिंग की सामान्य और नियमित प्रक्रिया के माध्यम से किसी दुर्बलता या अवैधता को पुनरीक्षण प्राधिकरण के संज्ञान या जानकारी में लाया जाता है

अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, संशोधन की शक्ति का निश्चित रूप से प्रयोग किया जा सकता है। पुनरीक्षण प्राधिकारी को उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान, स्वयं पंजीयक द्वारा पसंद की गई अपील से भी एकत्र किया जा सकता है। वह केवल एक अवसर या स्रोत हो सकता है जो प्राधिकरण को प्रक्रिया में संभावित दुर्बलता या अवैधता के बारे में जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। इतना जागरूक होने पर, उसके बाद पुनरीक्षण प्राधिकरण उसमें निहित शक्ति का प्रयोग करेगा। गुणात्मक रूप से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सूचना या ज्ञान का स्रोत क्या था, जब तक कि [2020] 11 एस. सी. आर. के भीतर शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

कानून द्वारा लगाई गई सीमाओं या प्रतिबंधों को सीमित करता है, और कानून के अनुसार है। कानून द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अलावा, किसी को भी सूचना की प्रकृति या स्रोत के रूप में जमीन पर शक्ति के प्रयोग में नहीं पढ़ा जा सकता है।

अपील पर विचार करते समय, यदि पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा एक स्पष्ट अवैधता देखी जाती है, तो वह निश्चित रूप से गलती को पूर्ववत करने के लिए स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, या अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा की गई त्रुटि को सुधार सकता है, जो ऐसे प्रतिबंधों के अधीन है जो कानून द्वारा शक्ति के प्रयोग पर लगाए गए हैं।

36. अधिनियम की योजना में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उद्देश्य

धारा 47-ए के तहत स्वतः संज्ञान शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, और इसे उन मामलों तक सीमित करता है जहां अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही में किसी भी अवैधता या दुर्बलता का ज्ञान लंबित अपील के अलावा अन्य स्रोतों से एकत्र किया जाना चाहिए। जब तक कि क़ानून स्पष्ट रूप से या

आवश्यक निहितार्थ से भी शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है, वहाँ होगा

सत्ता, किसी भी अन्य सीमाओं में पढ़ने का कोई अवसर नहीं होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने किसी भी मामले में शक्ति के प्रयोग को अमान्य नहीं पाया है, न ही उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह का कोई निवेदन प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने शक्ति के प्रयोग के बजाय केवल शक्ति के अस्तित्व पर ध्यान दिया था। ऐसा नहीं है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन या तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ था, या इतना स्पष्ट रूप से गलत था कि इसे कभी भी कायम नहीं रखा जा सकता था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई शक्ति के प्रयोग को दरकिनार करके पूरी तरह से गलती की। शक्ति का प्रयोग निश्चित रूप से था

राजस्व के हित के प्रति एक स्पष्ट अवैधता और पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रकार यह अभ्यास बिल्कुल सही था और इसके अनुसरण में पारित आदेशों को दरकिनार करने का कोई अवसर नहीं था। इसलिए हम तदनुसार प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देते हैं।

37. इस प्रकार हमारे विचार के लिए उत्पन्न सभी प्रश्नों पर विचार करने और उनका उत्तर देने के बाद, इन सभी अपीलों को अनुमति दी जानी चाहिए। हम तदनुसार आदेश देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसलों को दरकिनार कर देते हैं अपील के तहत और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को बहाल करें। कोई लागत नहीं।

देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।